



...the name you can BANK upon!



Share Department, Board & Coordination Division, HO Plot No.4 Sector 10, Dwarka,
New Delhi-110075 Tel No. : 011-28044857, E-mail: hosd@pnb.co.in

Scrip Code : PNB	Scrip Code : 532461
National Stock Exchange of India Limited "Exchange Plaza" Bandra – Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400 051	BSE Limited 1 st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 001

Date: 04.06.2022

Dear Sir,

Reg.: Notice of the 21st Annual General Meeting of the Bank.

With reference to our intimation dated 11.05.2022 regarding the 21st Annual General Meeting (AGM) of the shareholders of the Bank, please find enclosed the Notice of the AGM.

It is further informed that the Cut-Off Date for determining the voting rights of Shareholders for remote e-voting /e-voting during the AGM is Thursday, 23rd June, 2022.

The remote e-voting will commence from 09.00 a.m. on Monday, 27th June, 2022 and end at 05.00 p.m. on Wednesday, 29th June, 2022.

The above information is submitted in compliance of SEBI (LODR) Regulations, 2015.

You are requested to take the above on record.

Thanking you,

Yours faithfully,


(Ekta Pasricha)
Company Secretary

Encl.: A/a



pnbindia.in

T: 011 28075000, 28045000

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट सं. 4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
Corp. Office: Plot No. 4, Sector - 10, Dwarka, New Delhi 110075 India



pnbindia.in

www.pnbindia.in

पंजाब नैशनल बैंक
...भरोसे का प्रतीक !



punjab national bank
...the name you can BANK upon !

PNB0215A_MAR22_VER1.0_MAR22_BESHAASA

पंजाब नैशनल बैंक
...भरोसे का प्रतीक !



punjab national bank
...the name you can BANK upon!

प्रधान कार्यालय : प्लॉट नं. 4, सैक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075
(ई-मेल आईडी : hosd@pnb.co.in)

Head Office: Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110075
(E-mail id: hosd@pnb.co.in)

सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की 21वीं वार्षिक आम बैठक 30 जून, 2022, गुरुवार को प्रातः 11.00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/ अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे :-

साधारण कारोबार

मद सं. 1: 31 मार्च, 2022 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि लेखों, लेखों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदन देना तथा स्वीकार करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च, 2022 को बैंक के लेखापरीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लाभ और हानि लेखों, लेखों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट तथा तुलन पत्र एवं लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को एतद्वारा विचार विमर्श, अनुमोदित एवं स्वीकार किया गया।”

मद सं. 2: वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बैंक के इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित करना

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के प्रत्येक ₹2/- के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर पर ₹0.64 की दर से प्रति शेयर लाभांश घोषित किया गया है।”

विशेष कारोबार

मद सं. 3: एकमुश्त प्रतिभूति लेन-देन (प्रतिभूतियों की बिक्री/ खरीद), मुद्रा बाजार लेनदेन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता, ईबीपी के माध्यम से पीएनबी एनसीडी निर्गमन में सुरक्षा व्यवस्थाकर्ता सेवाओं आदि के लिए संबंधित पार्टियों के महत्वपूर्ण लेनदेन और पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड (अनुषंगी), पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहायक), पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सहायक) के साथ प्रासंगिक

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 21st Annual General Meeting of the Shareholders of Punjab National Bank will be held on Thursday, the 30th June, 2022 at 11.00 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

Item No.1: To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2022, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2022, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

“**RESOLVED THAT** the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2022, Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2022, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts be and are hereby approved and adopted.”

Item No.2: To declare dividend on the equity shares of the Bank for the financial year 2021-22.

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

“**RESOLVED THAT** dividend at the rate of ₹0.64 per equity share of the face value of ₹2/- each of the Bank be and is hereby declared for the financial year ended 31st March, 2022.”

SPECIAL BUSINESS

Item No. 3: To consider and approve the Material Related Party Transaction for outright securities transactions (sale/purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities, Security Arranger services in PNBs NCD issuances through EBP and also such other transactions as may be disclosed in the notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year with PNB Gilts

वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली सूचनाओं में प्रकट किये जा सकने वाले ऐसे अन्य लेनदेन पर भी विचार करना और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद “सेबी सूचीकरण विनियम” के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसमें किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसके पुनः अधिनियमन (इसके बाद “लागू कानून” के रूप में संदर्भित) और पंजाब नेशनल बैंक (इसके बाद “बैंक” के रूप में संदर्भित) की ‘संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति’ के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारक एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद “बोर्ड” के रूप में संदर्भित, जिस शब्द में इस संकल्प के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी भी समिति को शामिल माना जाएगा) को सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 2(1)(जेडबी) के अभिप्राय के भीतर बैंक की संबंधित पार्टियों, पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल) और पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ रु.1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% के मैटेरियलिटी थ्रेशहोल्ड, जो भी कम हो, से अधिक राशि के लिए एकमुश्त प्रतिभूति लेनदेन (प्रतिभूतियों की बिक्री/ खरीद), मुद्रा बाजार लेनदेन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता, पीएनबी एनसीडी निर्गमन में ईबीपी के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्थाकर्ता सेवाएं और ऐसे अन्य लेनदेन भी, जो प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में प्रकट किए जा सकते हैं, जैसा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लागू कानूनों के तहत निर्धारित किया गया है, जैसा कि नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट है, अनुबंध या समझौतों या लेनदेन करने और/या कार्यान्वित करने और/या जारी रखने के लिए (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन हों या लेनदेन एक साथ किए गए हो या लेनदेन की एक श्रृंखला हो या अन्यथा हो) अनुमोदन प्रदान करते हैं।”

“आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्य, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, अधिकृत है और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है, इसके आगे, शेयरधारकों की सहमति या अंत में मंजूरी लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड एतद्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि यह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (कों) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को सौंपने के लिए अधिकृत है और एतद्वारा इसे अधिकृत किया जाता है।”

Limited (Subsidiary), PNB Housing Finance Ltd. (Associate), PNB Metlife India Insurance Company Ltd. (Associate).

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as “SEBI Listing Regulations”) and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as “Applicable Laws”) and the ‘Policy on Related Party Transactions’ of Punjab National Bank (hereinafter referred to as “Bank”), the Shareholders of the Bank do hereby accord **approval** to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as “Board”, which term shall be deemed to include the Audit Committee of Board or any Committee duly constituted by the Board, to exercise its powers conferred under this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) for Outright securities transactions (Sale/Purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities, Security Arranger Services in PNBs NCD issuances through EBP and also such other transactions as may be disclosed in the notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year, with PNB Gilts Limited, PNB Housing Finance Limited (PNBHFL) and PNB Metlife India Insurance Company Ltd., Related Parties of the Bank within the meaning of Regulation 2(1)(zb) of SEBI Listing Regulations, for an amount in excess of the materiality threshold of ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, during FY 2022-23, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby **authorised** to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby **authorised** to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution.”

मद सं. 4: पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (सहायक) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट) के साथ ऋण और अग्रिम के लिए संबंधित पार्टी के महत्वपूर्ण लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद “सेबी सूचीकरण विनियम” के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसमें किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसके पुनः अधिनियमन (इसके बाद “लागू कानून” के रूप में संदर्भित) और पंजाब नेशनल बैंक (इसके बाद “बैंक” के रूप में संदर्भित) की ‘संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति’ के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारक एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद “बोर्ड” के रूप में संदर्भित, जिस शब्द में इस संकल्प के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी भी समिति को शामिल माना जाएगा) को सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 2(1)(जेडबी) के अभिप्राय के भीतर बैंक की संबंधित पार्टियों पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल) को, रु.1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% के मैटेरियलिटी थ्रेशहोल्ड जो भी कम हो, से अधिक राशि के लिए, जैसा वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान लागू कानूनों के तहत निर्धारित किया गया है, जैसा कि नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट है, ऋण और अग्रिम जैसे कि मियादी ऋण, ऋण सहायता, ओवरड्राफ्ट इत्यादि स्वीकृत करने हेतु अनुबंध या समझौते या लेनदेन करने और/या कार्यान्वित करने और/या जारी रखने के लिए (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन हों या लेनदेन एक साथ किए जाएं हो या लेनदेन की एक श्रृंखला या अन्यथा हो) अनुमोदन प्रदान करते हैं।”

“आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्य, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, अधिकृत है और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है, इसके आगे, शेयरधारकों की सहमति या अंत में मंजूरी लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड एतद्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि यह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (कों) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को सौंपने के लिए अधिकृत है और एतद्वारा इसे अधिकृत किया जाता है।”

Item No. 4: To consider and approve the Material Related Party Transactions for Loans and Advances with PNB Gilts Ltd. (Subsidiary) and PNB Housing Finance Ltd. (Associate).

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as “SEBI Listing Regulations”) and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as “Applicable Laws”) and the ‘Policy on Related Party Transactions’ of Punjab National Bank (hereinafter referred to as “Bank”), the Shareholders of the Bank do hereby accord **approval** to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as “Board”, which term shall be deemed to include the Audit Committee of Board or any Committee duly constituted by the Board, to exercise its powers conferred under this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) of granting of Loans and Advances such as Term Loans, Line of Credit, Overdraft etc., to PNB Gilts Limited and PNB Housing Finance Limited (PNBHFL), Related Parties of the Bank within the meaning of Regulation 2(1)(zb) of SEBI Listing Regulations, for an amount in excess of the materiality threshold of ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, during FY 2022-23, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby **authorised** to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby **authorised** to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution.”

मद संख्या 5: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (सहयोगियों) के साथ आईबीपीसी लेनदेन के लिए संबंधित पार्टी के महत्वपूर्ण लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद “सेबी सूचीकरण विनियम” के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसमें किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसके पुनः अधिनियमन (इसके बाद “लागू कानून” के रूप में संदर्भित) और पंजाब नेशनल बैंक (इसके बाद “बैंक” के रूप में संदर्भित) की ‘संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति’ के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारक एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद “बोर्ड” के रूप में संदर्भित, जिस शब्द में इस संकल्प के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा विधिवत रूप से गठित किसी भी समिति को शामिल माना जाएगा), को सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 2(1)(जेडबी) के अभिप्राय के भीतर बैंक की संबंधित पार्टियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानि असम ग्रामीण विकास बैंक, बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, मणिपुर ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, के साथ, रु. 1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% के मेटेरियलिटी थ्रेशहोल्ड, जो भी कम हो, से अधिक राशि के लिए, जैसा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लागू कानूनों के तहत निर्धारित किया गया है, जैसा कि नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट है, आईबीपीसी लेनदेन हेतु, अनुबंध या समझौते या लेनदेन करने और/या कार्यान्वित करने और/या जारी रखने के लिए (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन हों या लेनदेन एक साथ किए जाएं हो या लेनदेन की एक श्रृंखला या अन्यथा हो) अनुमोदन प्रदान करते हैं।”

“आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, अधिकृत है और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है, इसके आगे, शेयरधारकों की सहमति या अंत में मंजूरी लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड एतद्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि यह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (कों) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को सौंपने के लिए अधिकृत है और एतद्वारा इसे अधिकृत किया जाता है।”

Item No. 5: To consider and approve the Material Related Party Transactions for IBPC Transactions with Regional Rural Banks (Associates)

To consider and if thought fit, to pass the following as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as “SEBI Listing Regulations”) and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as “Applicable Laws”) and the ‘Policy on Related Party Transactions’ of Punjab National Bank (hereinafter referred to as “Bank”), the Shareholders of the Bank do hereby accord **approval** to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as “Board”, which term shall be deemed to include the Audit Committee of Board or any Committee duly constituted by the Board, to exercise its powers conferred under this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) for undertaking IBPC transactions with Regional Rural Banks viz. Assam Gramin Vikash Bank, Bangiya Gramin Vikash Bank, Himachal Pradesh Gramin Bank, Manipur Rural Bank, Punjab Gramin Bank, Prathama UP Gramin Bank, Tripura Gramin Bank, Dakshin Bihar Gramin Bank and Sarva Haryana Gramin Bank, Related Parties of the Bank within the meaning of Regulation 2(1)(zb) of SEBI Listing Regulations, for an amount in excess of the materiality threshold of ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, during FY 2022-23, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby **authorised** to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby **authorised** to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution.”

मद संख्या 6: पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (अनुषंगी) और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहायक) के साथ चालू खातों में संबंधित पार्टी के महत्वपूर्ण लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर निम्नलिखित साधारण संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद “सेबी सूचीकरण विनियम” के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसमें किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसके पुनः अधिनियमन (इसके बाद “लागू कानून” के रूप में संदर्भित) और पंजाब नेशनल बैंक (इसके बाद “बैंक” के रूप में संदर्भित) की ‘संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति’ के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारक एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद “बोर्ड” के रूप में संदर्भित, जिस शब्द में इस संकल्प के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा विधिवतरूप से गठित कोई भी समिति को शामिल माना जाएगा) को सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 2(1)(जेडबी) के अभिप्राय के भीतर बैंक की संबंधित पार्टियों, पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबीएचएफएल) के साथ बैंक द्वारा चालू खाता जमा, चाहे नए जमा (ओं) या किसी वृद्धि (ओं) के माध्यम से या पहले के अनुबंधों/समझौतों/लेनदेनों में संशोधन या अन्यथा के रूप में हो, की स्वीकृति हेतु, इसके बावजूद कि किसी भी दिन उच्चतम बकाया राशि रु. 1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर के 10% के मैटेरियलिटी थ्रेशहोल्ड, जो भी कम हो, से अधिक हो सकती है, जैसा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लागू कानूनों के तहत निर्धारित किया गया है, जैसा नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट है, अनुबंध या समझौतों या लेनदेन करने और/या कार्यान्वित करने और/या जारी रखने के लिए (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन हों या लेनदेन एक साथ किए जाएं हो या लेनदेन की एक श्रृंखला या अन्यथा हो) अनुमोदन प्रदान करते हैं।”

“आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, अधिकृत है और एतद्वारा इसे अधिकृत किया जाता है, इसके आगे, शेयरधारकों की सहमति या अंत में मंजूरी लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

Item No. 6: To consider and approve the Material Related Party Transactions in the Current Accounts with PNB Gilts Ltd. (Subsidiary) and PNB Housing Finance Ltd. (Associate).

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as “SEBI Listing Regulations”) and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as “Applicable Laws”) and the ‘Policy on Related Party Transactions’ of Punjab National Bank (hereinafter referred to as “Bank”), the Shareholders of the Bank do hereby accord **approval** to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as “Board”, which term shall be deemed to include the Audit Committee of Board or any committee duly constituted by Board, to exercise its powers conferred under this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) for acceptance of current account deposits by the Bank whether by way of fresh deposit(s) or any extension(s) or modification(s) of earlier contracts/arrangements/transactions or otherwise, with PNB Gilts Limited and PNB Housing Finance Limited, Related Parties of the Bank within the meaning of Regulation 2(1)(zb) of SEBI Listing Regulations, notwithstanding the fact that the highest outstanding balance on any day may exceed the materiality threshold of ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, during FY 2022-23, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby **authorised** to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड एतद्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि यह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (कों) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को सौंपने के लिए अधिकृत है और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

मद संख्या 7: ड्रक पीएनबी बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय अनुषंगी) और एवरेस्ट बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यम) के साथ नोस्ट्रो खाते में संबंधित पार्टी के महत्वपूर्ण लेनदेन पर विचार करना और अनुमोदन करना।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और उचित समझे जाने पर, निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (इसके बाद “सेबी सूचीकरण विनियम” के रूप में संदर्भित) के विनियम 23(4) के प्रावधानों और ऐसे अन्य लागू कानूनी प्रावधानों, यदि कोई हो, और उसमें किसी भी संशोधन, आशोधन, परिवर्तन या उसके पुनः अधिनियमन (इसके बाद “लागू कानून” के रूप में संदर्भित) और पंजाब नेशनल बैंक (इसके बाद “बैंक” के रूप में संदर्भित) की ‘संबंधित पार्टी लेनदेन पर नीति’ के अनुसरण में, बैंक के शेयरधारक एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद “बोर्ड” के रूप में संदर्भित, जिस शब्द में इस संकल्प के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड द्वारा विधिवतरूप से गठित कोई भी समिति को शामिल माना जाएगा) को सेबी सूचीकरण विनियम के विनियम 2(1)(जेडबी) के अभिप्राय के भीतर बैंक की संबंधित पार्टियों, ड्रक पीएनबी बैंक लिमिटेड और एवरेस्ट बैंक लिमिटेड, के साथ, नोस्ट्रो खाते में लेनदेन, चाहे नए जमा (ओं) या किसी वृद्धि (ओं) के माध्यम से या पहले के अनुबंधों/समझौतों/लेनदेनों में संशोधन या अन्यथा के रूप में हो, इसके बावजूद कि किसी भी दिन उच्चतम बकाया राशि रु.1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित टर्नओवर (अर्थात् वार्षिक समेकित कुल आय) के 10% के मैटेरियलिटी थ्रेशहोल्ड, जो भी कम हो, से अधिक हो सकती है, जैसा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लागू कानूनों के तहत निर्धारित किया गया है, जैसा कि नोटिस के साथ संलग्न व्याख्यात्मक विवरण में निर्दिष्ट है, के लिए, अनुबंध या समझौतों या लेनदेन करने और/या कार्यान्वित करने और/या जारी रखने के लिए (चाहे व्यक्तिगत लेनदेन हों या लेनदेन एक साथ किए जाएं या लेनदेन की एक श्रृंखला या अन्यथा हो) अनुमोदन प्रदान करते हैं।”

“आगे यह संकल्प किया जाता है कि बोर्ड सभी आवश्यक दस्तावेजों, अनुबंधों, विलेखों, करारों पर हस्ताक्षर करने और निष्पादित करने और ऐसे सभी कार्यों, डीड, मामलों और चीजों को करने के लिए, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार से इस संकल्प को लागू करने और इस संबंध या इस प्रसंग में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए आवश्यक या उचित समझे, अधिकृत है और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है, इसके आगे, शेयरधारकों की सहमति या अंत में मंजूरी लेने की आवश्यकता के बिना और इस आशय से कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution.”

Item No.7: To consider and approve the Material Related Party Transactions in the Nostro Account with Druk PNB Bank Ltd. (International Subsidiary) & Everest Bank Ltd. (International Joint Venture).

To consider and if thought fit, to pass the following as Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Regulation 23(4) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (hereinafter referred to as “SEBI Listing Regulations”) and such other applicable provisions of law, if any, and any amendments, modifications, variations or re-enactments thereof (hereinafter referred to as “Applicable Laws”) and the ‘Policy on Related Party Transactions’ of Punjab National Bank (hereinafter referred to as “Bank”), the Shareholders of the Bank do hereby accord approval to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as “Board”, which term shall be deemed to include the Audit Committee of Board or any committee duly constituted by Board, to exercise its powers conferred under this resolution), for entering into and/or carrying out and/or continuing with contracts or arrangements or transactions (whether individual transaction or transactions taken together or a series of transactions or otherwise) in the Nostro accounts whether by way of fresh transaction or any extension(s) or modification(s) of earlier contracts/arrangements/transactions or otherwise, with Druk PNB Bank Limited and Everest Bank Limited, Related Parties of the Bank within the meaning of Regulation 2(1)(zb) of SEBI Listing Regulations, notwithstanding the fact that the highest outstanding balance on any day may exceed the materiality threshold of ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower, as prescribed under Applicable Laws, during FY 2022-23, as specified in the Explanatory Statement annexed to the Notice.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to sign and execute all necessary documents, contracts, deeds, agreements and to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary or expedient to give effect to this resolution and to settle any question that may arise in this regard and incidental thereto, without being required to seek any further consent or approval of the shareholders to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

“आगे यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को एतद्वारा इसे प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्ति को जैसा कि यह पूर्वोक्त संकल्प को लागू करने के लिए उचित समझे, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक (कों) या कार्यपालकों की समिति या बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को सौंपने के लिए अधिकृत है और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby **authorised** to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & CEO or Executive Director(s) or Committee of Executives or any Officer(s) of the Bank, as it may deem fit, to give effect to the aforesaid Resolution.”

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नेशनल बैंक

By order of the Board of Directors
For **Punjab National Bank**

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 03.06.2022

(एकता पसरीचा)
कंपनी सचिव

Place: New Delhi
Date: 03.06.2022

(Ekta Pasricha)
Company Secretary

टिप्पणियाँ:

1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक

एमसीए (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय) ने अपने सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022 के माध्यम से कंपनियों को 31 दिसंबर, 2022 तक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से अपनी एजीएम आयोजित करने की अनुमति दी है। इसके अलावा, सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 द्वारा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आम बैठकें आयोजित करने के संबंध में सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए छूट की अवधि भी 31 दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दी है।

उपरोक्त दिशानिर्देशों और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक की 21वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसमें एक ही स्थान पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना पंजाब नेशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2000 के विनियम 58 के तहत कोरम की गणना के लिए की जाएगी। 21वीं एजीएम के लिए संभावित स्थान बैंक का प्रधान कार्यालय होगा।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग करने और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग करने की सुविधा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की जाएगी।

शेयरधारक नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैंक की एजीएम में, शामिल हो सकते हैं, जो शेयरधारकों के लिए 30 जून 2022 को सुबह 10:30 बजे से अर्थात् एजीएम शुरू होने के लिए निर्धारित आरम्भ होने के समय से 30 मिनट पहले खुला रखा जाएगा। बैंक/एनएसडीएल निर्धारित समय के 30 मिनट बाद वीसी/ओएवीएम सुविधा में शामिल होने के लिए विंडो बंद कर सकता है।

शेयरधारक यह नोट करें कि एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई वीसी/ओएवीएम सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1,000 सदस्यों की भागीदारी की अनुमति देती है। बैंक की शेयर पूंजी का 2% या उससे अधिक रखने वाले शेयरधारक, प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि एजीएम में पहले-आओ-पहले पाओ के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के आधार पर भाग ले सकते हैं।

2. इस नोटिस में निर्धारित मद संख्या 3 से 7 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाले संगत व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं।

NOTES:

1. Annual General Meeting through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM)

MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide its General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 has permitted the companies to hold their AGM through VC/OAVM till 31st December, 2022. Further, SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 has also extended the relaxations to listed entities in respect of holding General Meetings through VC/OAVM till 31st December, 2022.

In accordance with the aforesaid Guidelines and the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 & the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the 21st Annual General Meeting (AGM) of the Bank is being conducted through VC/OAVM which does not require physical presence of shareholders at a common venue. The Shareholders attending the AGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000. The deemed venue for the 21st AGM shall be the Head Office of the Bank.

The facility for participation in the AGM through VC/OAVM, voting through remote e-voting and e-voting during the AGM, will be provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

Shareholders may join the AGM of the Bank through VC/OAVM facility, by following the procedure as mentioned in the Notice, which shall be kept open for the shareholders on 30th June, 2022 from 10:30 a.m. i.e. 30 minutes before the time scheduled to start the AGM. The Bank/NSDL may close the window for joining the VC/OAVM facility 30 minutes after the scheduled start time.

Shareholders may please note that the VC/OAVM facility, provided by NSDL, allows participation of at least 1,000 shareholders on a first-cum-first-serve basis. The shareholders holding 2% or more of the share capital of the Bank, Promoter, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors, etc. can attend the AGM without any restriction on account of first-cum-first-serve basis.

2. The relevant Explanatory Statements setting out material facts in respect of Item Nos. 3 to 7 as set out in this Notice is annexed hereto.

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने हेतु पात्र शेयरधारक, स्वयं के स्थान पर उपस्थित होने और मतदान करने हेतु एक प्रॉक्सी नियुक्त करने के लिए पात्र है और ऐसे प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। उपरोक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुसार, चूंकि शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है, इसलिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए, प्रॉक्सी की नियुक्ति के लिए लिखित और उपस्थिति पर्ची को सूचना के साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है।

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति, किसी निगमित निकाय के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, तब तक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने एवं /या ई-मतदान के माध्यम से मत देने का पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत् रूप से अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की एक प्रमाणित सत्य प्रति बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात्, शुक्रवार 24 जून 2022 को समाप्ति समय अर्थात् सांय 5.00 बजे से पहले शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक पूर्वी विंग, प्रथम तल, प्लॉट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 में जमा, अथवा संवीक्षा को ई-मेल ashugupta.cs@gmail.com पर भेज न दी जाए और इसकी प्रति evoting@nsdl.co.in और hosd@pnb.co.in पर भी भेजी जाए।

बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को शेयरधारक के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

5. शेयरधारकों का रजिस्टर बंद करना:

लाभांश के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से और बैंक की 21वीं वार्षिक आम बैठक को देखते हुए बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर शुक्रवार, 24 जून, 2022 से गुरुवार, 30 जून, 2022 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेगा।

6. लाभांश का भुगतान:

निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक ₹2/- के इक्विटी शेयर हेतु ₹0.64 प्रति इक्विटी शेयर के लाभांश की संस्तुति की है।

21वीं एजीएम में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन, लाभांश का भुगतान, यदि शेयरधारकों द्वारा वार्षिक आम बैठक में घोषित किया जाता है, तो उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके नाम प्रकट होंगे:

ए) इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में एनएसडीएल/सीडीएसएल के रिकॉर्ड के अनुसार गुरुवार, 23 जून, 2022 को व्यावसायिक घंटों की समाप्ति पर लाभार्थी स्वामी के रूप में और/या

3. Appointment of Proxy

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank. Pursuant to the aforesaid MCA & SEBI Circulars, as the physical attendance of the Shareholders has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by shareholders will not be available for the AGM and therefore, the instrument for appointing proxy and attendance slip are not being attached to the Notice.

4. Appointment of an Authorised Representative:

No person shall be entitled to attend the AGM through VC/OAVM and/or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, shall have been deposited to the Share Department, Punjab National Bank, East Wing, First Floor, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075 or is sent to the Scrutinizer by e-mail to ashugupta.cs@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in and hosd@pnb.co.in, not less than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e. 5.00 p.m. on Friday, the 24th June, 2022.

No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative of a shareholder.

5. Closure of Register of Shareholders

The Register of Shareholders of the Bank will remain closed from Friday, 24th June, 2022 till Thursday, 30th June, 2022 (both days inclusive) for the purpose of determining the eligibility of the shareholders for entitlement of Dividend and in view of the 21st Annual General Meeting of the Bank.

6. Payment of Dividend:

The Board of Directors has recommended dividend of ₹0.64 per equity share of ₹2/- each for the financial year ended 31st March, 2022.

Subject to the approval of the shareholders at the 21st AGM, the payment of dividend, if declared by the Shareholders in the Annual General Meeting, will be made to those shareholders whose names appear:

a) as Beneficial Owners as at the close of business hours on Thursday, 23rd June, 2022 as per the record of NSDL/CDSL in respect of the Shares held in electronic form and / or

बी) गुरुवार, 23 जून, 2022 को शेयरधारकों के रजिस्टर में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से गुरुवार, 23 जून, 2022 के कारोबार के बंद होने से पहले प्राप्त वैध ट्रांसमिशन अनुरोधों को प्रभावी करने के बाद।

लाभांश के भुगतान की रिकॉर्ड की तिथि गुरुवार 23 जून, 2022 होगी।

लाभांश का भुगतान उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट कर दिया है। जिन शेयरधारकों ने अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट नहीं किया है, उन्हें लाभांश वारंट/ डिमांड ड्राफ्ट बैंक द्वारा अपने रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (एसटीए) अर्थात् बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड के माध्यम से लाभांश के भुगतान की तिथि से पहले, शेयरधारकों के पंजीकृत पते पर भेजे जाएंगे।

लाभांश भुगतान की तिथि शुक्रवार 15 जुलाई, 2022 होगी।

इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना पूरा बैंक विवरण पंजीकृत/ अपडेट करें:

- अपने डिपॉजिटरी सहभागियों के साथ, जिनके साथ वे अपने डीमैट खाते रखते हैं, यदि शेयर डीमैटरियलाइज्ड मोड में रखे जाते हैं, तो फॉर्म और दस्तावेज जमा करके, जैसा कि डिपॉजिटरी सहभागी (यों) द्वारा आवश्यक हो; तथा
- यदि शेयर भौतिक रूप में हैं, तो बैंक/ बैंक के एसटीए को hosd@pnb.co.in या beetal@beetalfinancial.com पर एक ईमेल भेजकर, निम्नलिखित प्रस्तुत करके:
 - हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की गई प्रति जिसमें शेयरधारक का नाम, फोलियो नंबर, बैंक विवरण (बैंक खाता संख्या, बैंक और शाखा का नाम एवं पता, आईएफएससी, एमआईसीआर विवरण) शामिल हैं।
 - पैन कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित प्रति, और
 - निरस्त चेक की लीफ

स्रोत पर कटौती योग्य कर:

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के अनुसार, वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा यथा संशोधित, 1 अप्रैल, 2020 के बाद बैंक द्वारा प्रदत्त या संवितरित लाभांश, शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगा। इसलिए बैंक को शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करते समय निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती करने की आवश्यकता होगी। विवरण के लिए, शेयरधारक इस नोटिस के साथ संलग्न अनुबंध को देख सकते हैं।

7. मतदान का अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (यथा संशोधित) की धारा 3(2 ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने शेयरों के सम्बन्ध में बैंक के शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकार के 10% से अधिक के मताधिकार हेतु पात्र नहीं

b) in the Register of shareholders as on Thursday, 23rd June, 2022 after giving effect to the valid transmission requests received from the shareholders holding shares in physical form, before the close of business hours of Thursday, 23rd June, 2022.

The Record Date for payment of Dividend will be Thursday, 23rd June, 2022.

Payment of dividend shall be made through electronic mode to the Shareholders who have updated their bank account details. Dividend Warrants / Demand Drafts will be dispatched by the Bank through its Registrar and Share Transfer Agent (STA) viz. Beetal Financial & Computer Services (Pvt.) Ltd., before the date of payment of dividend, to the registered address of the Shareholders who have not updated their bank account details.

The dividend payment date will be Friday, 15th July, 2022.

Shareholders are therefore requested to register / update their complete bank details:

- with their Depository Participant(s) with which they maintain their demat accounts, if shares are held in dematerialised mode, by submitting forms and documents as may be required by the Depository Participant(s); and
- with the Bank / Bank's STA by sending an email at hosd@pnb.co.in or beetal@beetalfinancial.com if shares are held in physical mode, by submitting:
 - scanned copy of the signed request letter containing Shareholder's name, Folio Number, Bank Details (Bank account number, Bank and Branch Name and address, IFSC, MICR details)
 - self-attested copy of the PAN card, and
 - cancelled cheque leaf.

Tax Deductible at Source:

As per the Income-tax Act, 1961 (the Act), as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by Bank after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of the Shareholders. The Bank shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) at the prescribed rates at the time of making the payment of dividend to the Shareholders. For details, Shareholders may refer to the Annexure appended to this Notice.

7. Voting Rights

In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended), no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10%

होगा। यदि कोई भी शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में जिसका नाम पहले है उसे एकमात्र धारक माना जाएगा।

कंपनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम 2014, के नियम 20 के अनुसार जो शेयरधारक बैठक में उपस्थित होने तथा मतदान करने के पात्र हैं, वे अपने मत का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से कर सकते हैं।

8. इलेक्ट्रॉनिक साधन के माध्यम से वोटिंग

(i) सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) के विनियमन 2015 के विनियम 44, स्टाफ एक्सचेंजों के साथ सूचीकरण करार के अनुसरण में और कंपनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 यथासंशोधित के नियम 20 के प्रावधान जो एमसीए परिपत्रों के साथ पठित है के अनुपालन में बैंक अपने शेयरधारकों को एजीएम में किए जाने वाले कार्य के संबंध में आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान (रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग) करने की सुविधा दे रहा है और यह सुविधा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जा रही है। ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि गुरुवार, 23 जून, 2022 है।

(ii) वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होंगे और जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना वोट नहीं दिया है, वे वार्षिक आम बैठक के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।

(iii) जिन शेयरधारकों ने बैठक से पूर्व दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान किया है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन फिर से मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

(iv) रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देश निम्नवत हैं:

ए. रिमोट ई वोटिंग की अवधि सोमवार, 27 जून, 2022 को (प्रातः 9.00 बजे) शुरू होगी और बुधवार, 29 जून 2022 (सायं 5.00 बजे) तक समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान कट ऑफ तिथि गुरुवार, 23 जून 2022 के अनुसार बैंक के शेयरधारक चाहे वे भौतिक रूप में शेयरधारण करते हो या अमूर्त रूप में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं। ई वोटिंग के बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा दिया जाएगा।

बी. रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और विधि का विवरण नीचे दिया गया है:

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में "दो चरण" शामिल हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच

ए) डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वचुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉग इन विधि।

of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

In terms of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through electronic means.

8. Voting through Electronic Means

I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the AGM by electronic means (remote e-voting and e-voting during the AGM) through the e-voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL). The Cut-Off date for determining the eligibility of shareholders to cast vote through e-voting is Thursday, 23rd June, 2022.

II. Those shareholders, who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and have not cast their vote on the Resolution through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

III. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

IV. The instructions for remote e-voting are as under:

a. The remote e-voting period begins on Monday, 27th June 2022 (9:00 a.m.) and ends on Wednesday, 29th June, 2022 (5:00 p.m.). During this period, shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of Thursday, 23rd June, 2022 may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

b. The details of the process and manner for remote e-voting are explained herein below:

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" as follows:

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

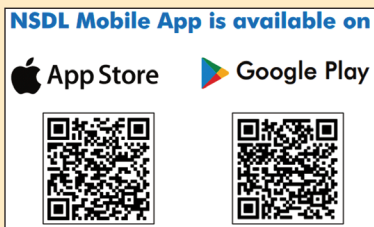
A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 के अनुसार, डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को अपने डीमैट खातों/निक्षेपागार और निक्षेपागार भागीदारों के वेबसाइट के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/ CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on 'e-Voting facility provided by Listed Companies', Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat accounts/ website of Depositories/Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile numbers and email Ids in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक।	1. यदि आप एनएसडीएल आईडीईएस सुविधा के लिए पहले से ही पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सेवाएं वेबसाइट पर जाएं। अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल https://eservices.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें। एक बार ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" के तहत "बेनिफिशियल ओनर" आइकन पर क्लिक करें जो "आईडीईएस" अनुभाग के तहत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। वहां आपको अपनी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। ई-वोटिंग सेवाओं के तहत "एक्सेस टू ई-वोटिंग" पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। बैंक या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता - एनएसडीएल के नाम के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः ले जाया जाएगा।
	2. यदि आप आईडीईएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं, तो पंजीकरण का विकल्प https://eservices.nsdl.com/ पर उपलब्ध है। "आईडीईएस के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" पोर्टल का चयन करें या https://eservices.nsdl.com/ पर क्लिक करें।

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL.	1. If you are already registered for NSDL IDeAS facility , please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under "IDeAS" section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on options available against name of the Bank or e-Voting service provider - NSDL and you will be re-directed to NSDL e-Voting website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining Virtual Meeting & voting during the Meeting.
	2. If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com/ . Select "Register Online for IDeAS" Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
	3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोले। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, “लॉगिन” आइकन पर क्लिक करें जो ‘शेयरधारक/सदस्य’ अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी उपयोगकर्ता आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए सत्यापन कोड को दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल निक्षेपागार साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। बैंक या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता – एनएसडीएल के नाम के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।
	4. शेयरधारक निम्न उल्लिखित यूआर कोड को स्कैन करके निर्बाध वोटिंग अनुभव की सुविधा के लिए एनएसडीएल मोबाइल ऐप “एनएसडीएल स्पीडी” भी डाउनलोड कर सकते हैं।  एनएसडीएल मोबाइल ऐप, ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर उपलब्ध है।

Type of shareholders	Login Method
	3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digits demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on options available against name of the Bank or e-Voting service provider - NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining Virtual Meeting & voting during the Meeting.
	4. Shareholders can also download NSDL Mobile App “NSDL Speede” facility for seamless voting experience by scanning the QR code mentioned below.  NSDL Mobile App is available on App Store and Google Play.

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने ईजी/ईजीएस्ट का विकल्प चुना है, वे अपनी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी और प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए ईजी/ईजीएस्ट में लॉगिन करने के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com हैं और न्यू सिस्टम माईईजी पर क्लिक करें। 2. ईजी/ईजीएस्ट के सफल लॉगिन के बाद उपयोगकर्ता ई वोटिंग मेनू भी देख सकेगा। मेनू में ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल के लिंक होंगे। अपना वोट डालने के लिए एनएसडीएल पर क्लिक करें। 3. यदि उपयोगकर्ता ईजी/ईजीएस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज में दिए गए लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकते हैं। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी अर्थात एनएसडीएल के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है।
व्यक्तिगत शेयरधारक (प्रतिभूतियों को डीमैटमोड में रखना) अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आपको सफल

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	1. Existing users who have opted for Easi / Easiest can login through their user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URLs for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com and click on New System Myeasi. 2. After successful login of Easi/ Easiest the user will be also able to see the E Voting Menu. The Menu will have links of e-Voting service provider i.e. NSDL. Click on NSDL to cast your vote. 3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration 4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing demat Account Number and PAN No. from a link in www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP i.e. NSDL where the e-Voting is in progress.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants.	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Once login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature.

शेयरधारकों का प्रकार	लॉगिन विधि
	प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल निक्षेपागार साइट पर भेज दिया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। बैंक या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता-एनएसडीएल के नाम के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोटिंग करने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनःप्रेषित कर दिया जाएगा।

आवश्यक नोट: जो शेयरधारक उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट उपयोगकर्ता आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

निक्षेपागार अर्थात् एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन का प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल में डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले शेयरधारक evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल में डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले शेयरधारक helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 022-23058738 और 022-23058542-43 पर कॉल कर सकते हैं।

बी) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों के धारिता वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियों के धारिता वाले शेयरधारकों के अलावा अन्य शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि।

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन करने के चरण

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल <https://www.evoting.nsdl.com> टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें।

Type of shareholders	Login Method
	Click on options available against name of the Bank or e-Voting service provider-NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining Virtual Meeting & voting during the Meeting.

Important note: Shareholders who are unable to retrieve User ID/Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned websites.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Shareholders facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Shareholders facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 or 022-23058542-43

B) Login Method for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

Steps to Log-in to NSDL e-Voting website

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com> either on a Personal Computer or on a mobile.

2. ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज खुलने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।

3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी स्क्रीन पर दिखने वाली उपयोगकर्ता आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल सेवाओं अर्थात आइडियाज के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएस लॉगिन के साथ <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एनएसडीएल की ई-सेवाओं में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

4. आपके यूजर आईडी का विवरण निम्नानुसार है:

शेयर धारित करने का तरीका अर्थात डीमैट (एलएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपका यूजर आईडी है:
ए) एनएसडीएल के डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए	8 अंकों के ग्राहक आईडी के बाद 8 कैरेक्टर उदाहरण के लिए, यदि आपकी डीपीआईडी IN300*** है और ग्राहक आईडी 12***** है तो आपकी यूजर आईडी IN300***12***** होगी
बी) सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी बेंचिफिशरी आईडी 12***** है तो आपकी यूजर आईडी 12***** होगी
सी) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए	इन नंबर के बाद बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए, यदि फोलियो नंबर 001*** है और इन 101456 है तो यूजर आई 101456001*** होगी।

5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अलावा शेयरधारकों हेतु पासवर्ड विवरण निम्नानुसार है:

ए) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग लॉगिन और अपना वोट डालने के लिए कर सकते हैं।

बी) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग पहली बार कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त करना होगा, जो आपको भेजा गया था। एक बार जब आप अपना 'इनिशियल पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

सी) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?

(i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में

2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.

3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are as follows:

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is
a) For Shareholders who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example, if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Shareholders who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example, if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****.
c) For Shareholders holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the Bank For example, if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***.

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:

a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.

b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

c) How to retrieve your 'initial password'?

i) If your email ID is registered in your demat

या बैंक के पास पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपकी ईमेल आईडी पर आपको भेजा जाता है। अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल से भेजे गए ईमेल को ढूँढ़ें। ईमेल खोलें और अटैचमेंट अर्थात् पीडीएफ फ़ाइल खोलें। एनएसडीएल खाते के लिए पीडीएफ फ़ाइल को खोलने का पासवर्ड आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी है, सीएसडीएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी का अंतिम 8 अंक या भौतिक शेयरों के लिए फोलियो नंबर पासवर्ड होगा। पीडीएफ फ़ाइल में आपकी 'यूजर आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।

- (ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं के तहत दिए गए चरणों का पालन करें।

6. यदि आप अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त नहीं किया है या भूल चुके हैं:

ए) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details/Password?" पर क्लिक करें। (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं)।

बी) "Physical User Reset Password?" विकल्प (यदि आप भौतिक मोड में शेयर धारण करते हैं) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

सी) यदि आप अभी भी उक्त दो विकल्पों के द्वारा पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप evoting@nsdl.co.in पर अपने डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपने पंजीकृत पते का उल्लेख करके अनुरोध भेज सकते हैं।

डी) शेयरधारक एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स को सेलेक्ट कर Terms and Conditions पर Agree पर टिक करें।
8. अब, आपको, "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।
9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भाग लेने और अपने वोट डालने का विवरण निम्नानुसार है:

1. चरण 1 पर सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आप सभी कंपनियों के "EVEN" देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर रखे हैं और जिनका मतदान चक्र (वोटिंग साइकल) और आम बैठक सक्रिय स्थिति में है।

account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

- ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in **process for those shareholders whose email ids are not registered.**

6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:

a) Click on "[Forgot User Details/Password?](http://www.evoting.nsdl.com)" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

b) [Physical User Reset Password?](http://www.evoting.nsdl.com)" (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.

d) Shareholders can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on "Agree to Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL eVoting system.

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.

- रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान तथा आम बैठक के दौरान वोट डालने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के "EVEN" का चयन करें। वर्चुअल बैठक में भाग लेने के लिए आपको "आम बैठक में भाग लें" के तहत दिए गए लिंक "वीसी/ओवीएम" पर क्लिक करना होगा।
- उचित विकल्प का चयन करके आप अपना वोट डाल सकते हैं, अर्थात्, सहमति या असहमति, सत्यापित/ संशोधित उन शेयरों की संख्या, जिसके लिए आप वोट डालना चाहते हैं और "सबमिट" पर क्लिक कर दें एवं अपने वोट को "कंफर्म" भी करें।
- पुष्टि करने के बाद, "सफलतापूर्वक वोट डाला गया" संदेश प्रदर्शित होगा।
- आप पुष्टि पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प को क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

एक बार संकल्प पर अपना वोट डालने की पुष्टि करने के बाद आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

- संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड के संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ जो मतदान करने के लिए अधिकृत हैं, स्कूटिनाइज़र को ई-मेल द्वारा ashugupta.cs@gmail.com पर evoting@nsdl.co.in पर चिह्नित एक प्रति के साथ भेजना होगा। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) अपने लॉगिन में "ई-वोटिंग" टैब के तहत प्रदर्शित "अपलोड बोर्ड रिजोल्यूशन / अथोरिटी लेटर" पर क्लिक करके अपने बोर्ड रिजोल्यूशन / अथोरिटी लेटर आदि को भी अपलोड कर सकते हैं।
- यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ आप अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन सही पासवर्ड में कुंजी के पांच असफल प्रयासों पर अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "Forgot User Details/Password?" या "Physical User Reset Password?" विकल्प पर जाना होगा।
- किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को और www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका को संदर्भित कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800-1020-990 एवं 1800-224-430 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री सोनी सिंह, सहायक महाप्रबंधक को evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं या टेलीफोन नं: +91-22-24994360; +91-22-2499-4545 पर कॉल कर सकते हैं।

- Select "EVEN" of Punjab National Bank to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join General Meeting".
- Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
- Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
- You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.

Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

- Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to ashugupta.cs@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) can also upload their Board Resolution/Authority Letter, etc. by clicking on "Upload Board Resolution/Authority Letter" displayed under "e-Voting" tab in their login.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
- In case of any queries, Shareholders may refer to Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-1020-990 and 1800-224-430 or send a request to Ms. Soni Singh, Asstt. Manager at evoting@nsdl.co.in or at telephone nos.: +91-22-24994360; +91-22-2499-4545.

ऐसे शेयरधारक जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग हेतु ई-मेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया:

1. यदि शेयर भौतिक रूप में धारित है, तो कृपया फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (सामने एवं पीछे) की स्कैन की गई प्रति, पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति बैंक के शेयर हस्तांतरण एजेंट को beetal@beetalfinancial.com ईमेल पर भेजें।
2. यदि शेयर डीमैट मोड में है, तो कृपया शेयरधारक डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), अपना नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति के साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति बैंक के शेयर हस्तांतरण एजेंट को beetal@beetalfinancial.com ईमेल पर भेजें। यदि आप एक डीमैट मोड में रखे प्रतिभूतियों के व्यक्तिगत शेयरधारक हैं, तो आपसे **चरण 1 (ए)** अर्थात् "डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन की विधि" में बताई गई लॉगिन विधि का सन्दर्भ लेने का अनुरोध किया जाता है।
3. वैकल्पिक रूप से शेयरधारक उपर्युक्त उल्लिखित दस्तावेजों को प्रदान करके ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in को अनुरोध कर सकते हैं।

एजीएम के दिन ई-वोटिंग हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:-

1. एजीएम के दिन ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया उसी तरह से है जैसे रिमोट ई-वोटिंग हेतु उपर्युक्त उल्लेख किए गए निर्देश हैं।
2. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डालेंगे एवं ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किए गए हैं, वो एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।
3. रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक एजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।
4. एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए जिन व्यक्तियों से संपर्क किया जा सकता है, उनका विवरण रिमोट ई-वोटिंग के लिए यथा उल्लिखित अनुसार ही होगा।

शेयरधारकों के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. शेयरधारक एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम सुविधा के द्वारा एजीएम में भाग लेने में सक्षम होंगे। शेयरधारक "एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का एक्सेस" हेतु उपरोक्तानुसार चरणों का पालन करके पहुंच सकते हैं। आपसे

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e-mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN card and AADHAR card by email to the Bank's STA at beetal@beetalfinancial.com
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID+CLID or 16 digit Beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, self-attested scanned copy of PAN card and AADHAR Card to the Bank's STA at beetal@beetalfinancial.com. If you are an Individual shareholder, holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at **Step 1 (A)** i.e. "Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode".
3. Alternatively, shareholders may send a request to evoting@nsdl.co.in for procuring user id and password for e-voting by providing above mentioned documents.

The instructions for Shareholders for E-Voting on the day of the AGM are as under: -

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
3. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM, however, they will not be eligible to vote at the AGM.
4. The details of the persons who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same as mentioned for Remote e-voting.

Instructions for Shareholders for attending the AGM through VC/OAVM are as under:

1. Shareholders will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Shareholders may access by following the steps mentioned above for **Access to NSDL e-Voting system**.

अनुरोध है कि “ज्वाइन जनरल मीटिंग” मेन्यू में दिए गए लिंक वीसी/ओएवीएम पर क्लिक करें। सफलतापूर्वक लॉग इन करने के बाद, आप बैंक के नाम के सामने “आम बैठक में शामिल हों” मेनू के तहत रखे गए “वीसी / ओएवीएम लिंक” का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि जॉइन जनरल मीटिंग मेन्यू के तहत दिए गए वीसी/ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां बैंक का EVEN प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय पर भाग दौड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

एजीएम से पूर्व या इसके दौरान, तकनीक के प्रयोग के लिए सहायता प्राप्त करने के इच्छुक शेयरधारक द्वारा संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का हेल्पलाइन विवरण वही होगा जो कि रिमोट ई-वोटिंग के लिए दिया गया है।

2. बेहतर अनुभव हेतु शेयरधारक लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, शेयरधारकों के पास बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने हेतु एक अच्छी गति के साथ इंटरनेट होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट करने वाले शेयरधारकों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उक्त रुकावट को कम करने हेतु स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
3. किसी प्रस्ताव पर एक बार वोट डालने के बाद उसे बाद में बदला नहीं जा सकता।
4. शेयरधारक, जो एजीएम के दौरान एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्हें अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने पंजीकृत ईमेल आईडी से अपना अनुरोध बैंक की ईमेल आईडी hosd@pnb.co.in पर 27 जून, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे या उससे पहले भेजकर स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत करने की आवश्यकता है। वे शेयरधारक जिन्होंने स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने। प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।
5. शेयरधारक एजीएम में अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपने नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी नंबर / फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए, बैंक की ईमेल आईडी hosd@pnb.co.in पर व्यापार के संबंध में 27 जून, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे या उससे पहले प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारक प्रश्न बॉक्स विकल्प के माध्यम से प्रश्न/प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। शेयरधारकों द्वारा इस प्रकार के प्रश्नों को बैठक के दौरान उठाया जाएगा या बैंक द्वारा उपयुक्त उत्तर दिया जाएगा।

After successful login, you can see link of “VC/OAVM link” placed under “Join General Meeting” menu against the name of the Bank. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join General Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Bank will be displayed. Please note that the Shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the Notice to avoid last minute rush.

The Helpline details of the persons who may be contacted by the Shareholder needing assistance with the use of technology, before or during the AGM shall be the same as mentioned for remote e-Voting.

2. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience. Further, Shareholders should have internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. Please note that the participants connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/ Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
3. Vote on a resolution, once cast, cannot be changed subsequently.
4. Shareholders, who would like to express their views/ask questions during the AGM with regard to the business to be transacted at the AGM, need to register themselves as a Speaker by sending their request from their registered email id mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number, to the Bank's email id at hosd@pnb.co.in on or before 11.00 a.m. of 27th June, 2022. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
5. Shareholders can submit questions with regard to the business to be transacted at the AGM from their registered email address, mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number, to the Bank's email id at hosd@pnb.co.in in advance on or before 11.00 a.m. of 27th June, 2022. Shareholders who will participate in the AGM through VC/OAVM can also pose question/ feedback through question box option. Such questions by the Shareholders shall be taken up during the Meeting or suitably replied to by the Bank, later.

6. संस्थागत निवेशक, जो बैंक के शेयरधारक हैं, से अनुरोध किया जाता है कि वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हों।

9. संवीक्षक

मैसर्स आशु गुप्ता एंड कंपनी, कंपनी सचिव, को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए बैंक द्वारा संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

संवीक्षक, वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के समापन के दो कार्य दिवसों के भीतर अध्यक्ष को दिए गए कुल मतों पर एक समेकित संवीक्षककर्ता रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसके बाद बैंक स्टॉक एक्सचेंज और बैंक की वेबसाइट पर समेकित संवीक्षककर्ता की रिपोर्ट के साथ परिणाम प्रस्तुत करते हुए तुरंत मतदान के परिणाम घोषित करेगा।

10. अदावाकृत लाभांश

शेयरधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि यदि कोई लाभांश राशि इसकी देय तिथि से 7 वर्षों तक अवैतनिक/अदावी है तो उक्त अदत्त/ अदावाकृत राशि को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार 'निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष' (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2013-14 तक लाभांश खाते हेतु अंतरित लाभांश में अदत्त/अदावाकृत राशि को आईईपीएफ में अंतरित कर दिया गया है।

वित्त वर्ष 2014-15 (पीएनबी और ई-ओबीसी द्वारा घोषित) के लिए भुगतान/दावा न किए गए लाभांश को आईईपीएफ में हस्तांतरित किया जाना चाहिए। जिन शेयरधारकों ने वर्ष 2014-15 के लिए लाभांश प्राप्त नहीं किया है/दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे 20.07.2022 (पीएनबी द्वारा घोषित लाभांश के मामले में) और 25.07.2022 (ई-ओबीसी द्वारा घोषित लाभांश के मामले में) तक राशि का दावा करने के लिए अपना नवीनतम पता, मोबाइल/टेलीफोन नंबर फोलियो नंबर/डीपी-आईडी एवं क्लाइंट आईडी और बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम, शाखा का पता, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी आदि दें। यदि दावा नहीं किया गया है, तो यथालागू दिशानिर्देशों के अनुसार अदत्त लाभांश आईईपीएफ को अंतरित कर दिया जाएगा।

बैंक के पास पड़े अदत्त/ अदावाकृत लाभांश की वर्षवार सूची बैंक की वेबसाइट (www.pnbindia.in) पर अपलोड की गई है।

11. अन्य जानकारी

- ए) सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मई 2022 के अनुसार, बैंक की 21वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना वाली वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, ई-वोटिंग की प्रक्रिया और विधि आदि का संकेत केवल उन सभी शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रेषित किए जा रहे हैं, जिनकी ईमेल आईडी बैंक के एसटीए / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (ओं) के साथ पंजीकृत हैं।

6. Institutional Investors, who are shareholders of the Bank, are requested to be present in the AGM through VC/OAVM Facility.

9. Scrutinizer

M/s Ashu Gupta & Co., Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting within two working days of conclusion of the AGM thereafter the Bank shall declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges and the Bank.

10. Unclaimed Dividend

Shareholders are hereby informed that if any dividend amount remains unpaid/ unclaimed for 7 years from its due date, the said unpaid/unclaimed amount has to be transferred to the 'Investor Education & Protection Fund' (IEPF), pursuant to Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. The unpaid/unclaimed amount in Dividend Account upto FY 2013-14 has already been transferred to IEPF.

The unpaid/unclaimed dividend for FY 2014-15 (declared by PNB and e-OBC) is due to be transferred to IEPF. The shareholders who have not received/claimed the dividend(s) for the year 2014-15 are requested to claim the same latest by 20.07.2022 (in case of dividend declared by PNB) and 25.07.2022 (in case of dividend declared by e-OBC), by giving their latest address, Mobile/Telephone No. Folio No./ DP-ID & Client ID and Bank details viz. Bank name, Branch address, Bank account number and IFSC etc. for claiming the amount. If not claimed, the unpaid dividend will be transferred to IEPF in accordance with the applicable guidelines.

The year-wise data of unpaid/unclaimed dividend lying with the Bank is available on the Bank's website (www.pnbindia.in).

11. Other Information

- a) Pursuant to the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, the Annual Report for FY 2021-22 containing the Notice of the 21st Annual General Meeting (AGM) of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting etc. is being sent only in electronic mode to all the shareholders whose email IDs are registered with the Bank's STA / Depository Participant(s).

बी) शेयरधारक यह भी नोट कर सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एजीएम की सूचना शामिल है, को बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध कराया गया है।

सी) बैंक द्वारा की गई 'हरित पहल' को ध्यान में रखते हुए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि डिमैट रूप में धारित शेयरों के मामले में अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ और भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में बैंक के एसटीए के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करवाएं। इसके अलावा, उनके नाम, डाक पता, ईमेल पता, टेलीफोन / मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), मेनडेट, नामांकन, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआईआर कोड, आईएफएससी कोड, आदि से संबंधित परिवर्तन, यदि कोई हो, के मामले में, के बारे में इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों के धारित होने की स्थिति में उनके डीपी को और भौतिक रूप में शेयरों के धारित होने की स्थिति में एसटीए को इसकी सूचना दी जा सकती है।

डी) ऐसे शेयरधारक जिनके पास समान नामों में या संयुक्त नामों में कई फोलियो में विविध फोलियो में शेयर भौतिक रूप में रखे हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने शेयर प्रमाणपत्रों को एकल फोलियो में समेकित करने के लिए एसटीए को भेजें।

ई) सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 40 के अनुसार, यथासंशोधित, सूचीबद्ध संस्थाओं की प्रतिभूतियों को केवल प्रतिभूतियों के संचरण या स्थानान्तरण के लिए प्राप्त अनुरोध के मामले को छोड़कर 01 अप्रैल, 2019 से केवल डिमैट रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसलिए भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी धारिता को अमूर्त रूप में परिवर्तित करें।

b) Shareholders may also note that the Annual Report for FY 2021-22 inter alia containing the Notice of AGM is also being made available on the Bank's website www.pnbindia.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively, and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com

c) In view of the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders are requested to get their email ids registered with their respective Depository Participant in case of shares held in demat form and with the Bank's STA in case of shares held in physical form. Further, in case of changes, if any, pertaining to their name, postal address, email address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., the same may be intimated to their DPs in case the shares are held by them in electronic form and to the STA in case the shares are held by them in physical form.

d) Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the STA for consolidation into a single folio.

e) As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, securities of listed entities can be transferred only in dematerialized form with effect from, 01st April, 2019, except in case of request received for transmission or transposition of securities. Shareholders holding shares in physical form are therefore requested to convert their holdings to dematerialized form.

व्याख्यात्मक कथन:

■ मद संख्या.3:

1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 23(1) के प्रावधान के साथ पठित विनियम 2(1)(जेडसी) में संशोधन के अनुसार, एक ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी संस्थापक कंपनी के बीच संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों के हस्तांतरण से संबंधित लेन-देन और दूसरी ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी के संबंधित पक्ष को संबंधित पार्टी लेन देन माना जाता है। इसके अलावा, सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, सभी मैटेरियल से संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए एक सामान्य संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि वे स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और व्यापार के सामान्य प्रक्रिया में हैं। यदि वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत या संयुक्त रूप से किया जाने वाला लेनदेन पिछले लेनदेन से ₹1000 करोड़ या सूचीबद्ध इकाई के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, जो भी कम हो, से अधिक है तो किसी संबंधित पार्टी लेनदेन को 'मैटेरियल' माना जाता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित मैटेरियल संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया गया है:

विवरण	लेन-देन का विवरण		
संबंधित पार्टी का नाम और बैंक के साथ उसका संबंध	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, (अनुषंगी)	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एसोसिएट)	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसोसिएट)
लेन-देन का प्रकार	एकमुश्त प्रतिभूति लेनदेन (प्रतिभूतियों की बिक्री / खरीद), मुद्रा बाजार लेनदेन, प्रतिभूतियों की प्राथमिक सदस्यता और ऐसे अन्य लेन-देन जो संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में प्रकट किए जा सकते हैं।		

Explanatory Statement:

■ Item No.3:

Pursuant to amendment in Regulation 2(1)(zc) read with the proviso to Regulation 23(1) of the SEBI Listing Regulations, effective from 1 April, 2022, transactions involving transfer of resources, services or obligations between a listed entity or any of its subsidiaries on one hand and a related party of the listed entity or any of its subsidiaries on the other hand are considered as related party transactions. Further, in terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business. A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:

Particulars	Details of Transactions		
Name of Related Party and its relationship with the Bank	PNB Gilts Ltd. (Subsidiary)	PNB Housing Finance Ltd. (Associate)	PNB Metlife India Insurance Company Ltd. (Associate)
Type of Transaction	Outright securities transactions (sale / purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities, Security Arranger services in PNBs NCD issuances through EBP in which PNB Gilts may be arranger/one of the arrangers to the issue and also such other transactions as may be disclosed in the notes	Outright securities transactions (sale / purchase of securities), Money Market transactions, Primary subscription of securities and also such other transactions as may be disclosed in the notes forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year.	

विवरण	लेन-देन का विवरण		
	वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियों में प्रकट किए जा सकते हैं।		
प्रस्तावित लेनदेन की तात्त्विक शर्तें और विवरण	एकमुश्त प्रतिभूति लेनदेन/मुद्रा बाजार लेनदेन/प्रतिभूतियों का प्राथमिक अभिदान, बैंक के नीति दिशानिर्देशों के अनुसार प्रचलित बाजार मूल्य/प्रतिभूतियों के उचित मूल्य के अनुसार किया जाएगा। एनसीडी जारी करने के लिए पीएनबी गिल्ट की व्यवस्था करने वाली सेवाओं का उपयोग पीएनबी इश्यू आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा और सभी प्रबंधकों के लिए बैंक द्वारा तय किए गए अरेंजर-शिप शुल्क का भुगतान एक समान होगा।		
प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (₹ करोड़ में)	6000.00	6000.00	2000.00
संस्था का स्वरूप या संबंधित पार्टी का हित (वित्तीय या अन्यथा)	वित्तीय		
तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, प्रस्तावित लेनदेन (31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की समेकित कुल आय के आधार पर) के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है	6.79%	6.79%	2.26%
बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी भी ऋण के साथ साथ कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेनदेन:			

Particulars	Details of Transactions		
	forming part of the Financial Statements for the relevant Financial Year.		
Material terms and particulars of the proposed transaction	Outright securities transactions / money Market transactions/ Primary subscriptions of securities, will be done as per the prevailing market price/Fair value of securities in line with Bank's Policy Guidelines. Arranger services of PNB Gilts for NCD issuances shall be utilised as per PNBs issue requirement and payment of arranger-ship fee shall be uniform to all the arrangers as decided by the Bank.		
Value of the proposed transaction (₹ in Crore)	6000.00	6000.00	2000.00
Nature of concern or interest of the related party (financial or otherwise)	Financial		
Percentage of Bank's Annual Consolidated Turnover for the immediately preceding financial year, represented by the value of the proposed transaction (Based on Consolidated Total Income of the Bank for FY ended 31.03.2022)	6.79%	6.79%	2.26%
Transaction relating to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the Bank or its subsidiary:			

विवरण	लेन-देन का विवरण
(i) किए गए वित्तीय ऋणग्रस्तता का विवरण	बैंक कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण नहीं लेगा। धन का उपयोग बैंकिंग के सामान्य पाठ्यक्रम से किया जाएगा।
(ii) कार्यकाल	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लेनदेन किए जाने का प्रस्ताव है। कार्यकाल जारी प्रतिभूतियों की शर्तों के अनुसार होगा।
(iii) अनुबंध, कार्यकाल, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची, चाहे सुरक्षित हो या असुरक्षित; यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति सहित यथालागू शर्तें।	प्रसंविदा, चुकौती अनुसूची, चाहे सुरक्षित/ असुरक्षित, आदि सहित यथालागू शर्तें प्रतिभूतियों को जारी करने की शर्तों के अनुसार होंगी। प्रस्तावित लेन-देन, बैंक की नीति/विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के सामान्य कारोबार में स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर किए जाएंगे। प्रतिभूतियों का मूल्य प्रचलित बाजार पद्धति के अनुसार उचित बाजार मूल्य पर होगा।
(iv) जिस उद्देश्य के लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।	निधि का उपयोग केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित इच्छित उद्देश्य के लिए किया जा सकता है।
आरपीटी बैंक के हित में क्यों है इसका औचित्य	बाजार के अवसरों का लाभ उठाकर व्यापार/ निवेश पोर्टफोलियो से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक अपने सामान्य कारोबार के दौरान प्रतिभूतियों की खरीद/बिक्री (भारत सरकार, राज्य सरकारों, पीएसयू, कॉर्पोरेट आदि द्वारा जारी जो बैंक से संबंधित या असंबंधित हो सकता है) में सक्रिय है और इसलिए, यह बैंक के हित में है। इसके अलावा, पीएनबी गिल्ट्स डेट मार्केट में एक प्रमुख खिलाड़ी है और प्राथमिक डीलर है। लेनदेन बाजार दरों पर किया जाएगा, ताकि पीएनबी बाजार के अवसर से न चूके।
मूल्यांकन या अन्य बाह्य पक्ष की रिपोर्ट	लागू नहीं

Particulars	Details of Transactions
(i) Details of Financial Indebtedness incurred	The Bank will not incur any specific Financial indebtedness. Funds will be utilized from normal course of Banking.
(ii) Tenure	The Transactions are proposed to be undertaken during FY 2022-23. The Tenure will be as per terms of the securities issued.
(iii) Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security.	The applicable terms including Covenants, repayment schedule, whether secured/ unsecured, etc. will be as per the terms of the issuance of securities. The proposed Transactions, shall be undertaken on an arm's length basis in the normal course of business of the Bank in accordance with the Bank's Policy/Regulatory Guidelines. The securities shall be priced at Fair Market Value as per the prevailing market practice.
(iv) The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT.	The funds may be utilized solely for the intended purpose as approved by the Competent Authority.
Justification as to why the RPT is in the interest of the Bank	The Bank is actively engaged in purchase/ sale of securities (issued by Government of India, State Governments, PSUs, Corporates etc which may be related or unrelated to the Bank) during its normal course of business, to optimise profits from trading/ investment portfolio by taking advantage of market opportunities and is therefore, in the interest of the Bank. Further, PNB Gilts is one of the major player in Debt Market and is a primary dealer. The transactions shall be carried out at Market rates, so that PNB does not miss upon a market opportunity.
Valuation or other external party report	Not applicable

एक ओर बैंक के बीच प्रस्तावित लेन-देन का मूल्य और दूसरी तरफ उपरोक्त उल्लिखित संबंधित पार्टियों में से प्रत्येक का मूल्य ₹1000 करोड़ से अधिक है [अर्थात् सेबी सूचीकरण विनियमों के तहत 'मैटेरियल से संबंधित पार्टी लेनदेन' की सीमा से अधिक अर्थात् ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, जो भी हो कम हो] लेन-देन संबंधित पार्टियों के साथ स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार में निष्पादित किया जाएगा।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, बैंक में और ऊपर उल्लिखित किसी भी संस्था में, यदि कोई हो, उनकी शेयरधारिता/निर्देशन, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में संबंधित/रुचि रखते हैं।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति ने उपरोक्त मैटेरियल संबंधी पार्टी लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

बोर्ड ने यह भी सिफारिश की है कि मद संख्या 3 में रखी गई प्रस्तावित मैटेरियल से संबंधित पार्टी लेनदेन, शेयरधारकों के समक्ष उनके अनुमोदन हेतु एजीएम में सामान्य संकल्प के रूप में रखा जाए।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी सूचीकरण विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष/पार्टी नोटिस के मद संख्या 3 पर सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए वोट नहीं करेंगे।

■ मद संख्या 4:

1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(1) के प्रावधान के साथ पठित विनियम 2(1)(जेडसी) में संशोधन के अनुसार, एक सूचीबद्ध इकाई या किसी के बीच संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों के हस्तांतरण से जुड़े लेनदेन एक ओर इसकी सहायक कंपनियों और दूसरी ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी के संबंधित पक्ष को संबंधित पक्ष की लेनदेन माना जाता है। इसके अलावा, सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, सभी मैटेरियल से संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए एक सामान्य संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि वे स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और सामान्य व्यापार प्रक्रिया में हैं। एक संबंधित पक्ष की लेनदेन को 'मैटेरियल' के रूप में माना जाता है यदि लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है या पिछले लेनदेन के साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक साथ लिया जाता है, जो सूचीबद्ध इकाई के पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का ₹.1000 करोड़ या 10% से अधिक है, जो भी कम हो।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित मैटेरियल संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है:

The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is more than ₹1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower.] The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding/directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.

The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 3, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party/ies shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 3 of the Notice.

■ Item No.4:

Pursuant to amendment in Regulation 2(1)(zc) read with the proviso to Regulation 23(1) of the SEBI Listing Regulations, effective from April 1, 2022, transactions involving transfer of resources, services or obligations between a listed entity or any of its subsidiaries on one hand and a related party of the listed entity or any of its subsidiaries on the other hand are considered as related party transactions. Further, in terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business. A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:

विवरण	लेन-देन का विवरण	
संबंधित पक्ष का नाम और बैंक के साथ इसके संबंध	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड (अनुषंगी)	पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहायक)
लेन-देन का प्रकार	संबंधित पक्षों सहित अपने ग्राहकों को अपने सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के हिस्से के रूप में सावधि ऋण, लाइन ऑफ क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट आदि के रूप में ऋण और अग्रिम।	
प्रस्तावित लेनदेन के भौतिक नियम और विवरण	प्रस्तावित लेनदेन के नियम और शर्तें बैंक की नीति/विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी।	
प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (₹ करोड़ में)	3000.00	5000.00
संबंधित पक्ष के सरोकार या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा)	वित्तीय	
तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है (31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की समेकित कुल आय के आधार पर)	3.40%	5.66%
बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी भी ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेनदेन:		
i) की गई वित्तीय ऋणग्रस्तता का विवरण	बैंक कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण नहीं लेगा। धन का उपयोग बैंकिंग के सामान्य पाठ्यक्रम से किया जाएगा।	
ii) कार्यकाल	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लेनदेन किए जाने का प्रस्ताव है। ऋण सुविधा का कार्यकाल बैंक की नीति/विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार मंजूरी की शर्तों के अनुसार होगा।	

Particulars	Details of Transactions	
Name of Related Party and its relationship with the Bank	PNB Gilts Ltd. (Subsidiary)	PNB Housing Finance Ltd. (Associate)
Type of Transaction	Loans and Advances in the form of Term Loans, Line of Credit, Overdraft etc. as part of its normal banking business to its customers including related parties.	
Material terms and particulars of the proposed transaction	The terms and conditions of the proposed transactions shall be in accordance with the Bank's Policy/Regulatory Guidelines.	
Value of the proposed transaction (₹ in Crore)	3000.00	5000.00
Nature of concern or interest of the related party (financial or otherwise)	Financial	
Percentage of Bank's Annual Consolidated Turnover for the immediately preceding financial year, represented by the value of the proposed transaction (Based on Consolidated Total Income of the Bank for FY ended 31.03.2022)	3.40%	5.66%
Transaction relating to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the Bank or its subsidiary:		
(i) Details of Financial Indebtedness incurred	The Bank will not incur any specific Financial indebtedness. Funds will be utilized from normal course of Banking.	
(ii) Tenure	The Transactions are proposed to be undertaken during FY 2022-23. The Tenure of the credit facility will be as per the terms of sanction in accordance with Bank's Policy / Regulatory Guidelines.	

विवरण	लेन-देन का विवरण
iii) लागू शर्तें, जिनमें शामिल हैं: अनुबंध, कार्यकाल, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची सहित लागू शर्तें, चाहे प्रतिभूति हो या प्रतिभूति न हो; यदि प्रतिभूति है, तो प्रतिभूति की प्रकृति।	अनुबंधों सहित लागू शर्तें, चाहे प्रतिभूति हो / प्रतिभूति न हो, प्रतिभूति की प्रकृति आदि बैंक की नीति/नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी और जैसा उधारकर्ता सहमत होंगे। लेन-देन, बैंक के सामान्य कारोबार के दौरान स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर किए जाएंगे। ब्याज दरें प्रचलित बाजार दर पर आधारित होंगी या बाहरी बेंचमार्क से जुड़ी होंगी। चुकोती अनुसूची उधारकर्ताओं के साथ सहमत शर्तों के अनुसार होगी।
iv) जिस उद्देश्य के लिए आरपीटी के अनुसार इस तरह के निधि के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधि का उपयोग किया जाएगा।	जैसा कि ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने के समय निर्दिष्ट किया गया है।
आरपीटी बैंक के हित में क्यों है इसका औचित्य	बैंक के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए लेन-देन किए जाने का प्रस्ताव है और यह निर्धारित मानदंडों, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार होगा और इसलिए बैंक के हित में होगा।
मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्ष की रिपोर्ट	लागू नहीं

एक तरफ बैंक के बीच प्रस्तावित लेन-देन का मूल्य और दूसरी तरफ उपरोक्त संबंधित पक्षों में से प्रत्येक का मूल्य ₹1000 करोड़ से अधिक है 'अर्थात् सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत 'मैटेरियल से संबंधित पक्ष की लेनदेन' की सीमा से ऊपर यानि ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, जो भी न्यूनतम हो,। लेन-देन संबंधित पक्षों के साथ स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार में निष्पादित किए जाएंगे।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, बैंक में और ऊपर उल्लिखित किसी भी संस्था में, यदि कोई हो, उनकी शेयरधारिता/निर्देशन, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में संबंधित/रुचि रखते हैं।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने उपरोक्त मैटेरियल संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

Particulars	Details of Transactions
(iii) Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security.	The applicable terms including Covenants, whether secured/unsecured, nature of security etc. will be in accordance with the Bank's Policy/Regulatory Guidelines and as agreed to by the borrowers. The Transactions, shall be undertaken on an arm's length basis in the normal course of business of the Bank. The interest rates shall be based on prevailing market rate or linked to external benchmark. Repayment Schedule shall be as per the terms agreed with the borrowers.
(iv) The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT.	As specified at the time of availing the credit facilities.
Justification as to why the RPT is in the interest of the Bank	The transactions are proposed to be undertaken in furtherance of the business of the Bank and shall be in accordance with laid down norms, policies and procedures and therefore, in the interest of the Bank.
Valuation or other external party report	Not applicable

The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is more than ₹1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower]. The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding/directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.

बोर्ड ने यह भी सिफारिश की है कि प्रस्तावित मैटेरियल से संबंधित पक्ष की लेनदेन को मद संख्या 4 में रखा गया है, शेयरधारकों के समक्ष उनका अनुमोदन हेतु वार्षिक आम बैठक में साधारण संकल्प के रूप में रखा जाए।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष हेतु सूचना के मद संख्या 4 में सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे।

■ मद संख्या 5:

1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(1) के प्रावधान के साथ पठित विनियम 2(1) (जेडसी) में संशोधन के अनुसार, एक लिस्टेड इकाई या किसी के बीच संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों के हस्तांतरण से जुड़े लेनदेन एक ओर इसकी सहायक कंपनियों और दूसरी ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी की संबंधित पक्ष को संबंधित पक्ष की लेनदेन माना जाता है। इसके अलावा, सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, सभी मैटेरियल से संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए एक सामान्य संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि वे व्यापार पहुँच के भीतर और सामान्य प्रक्रिया में हैं। एक संबंधित पक्ष की लेनदेन को 'मैटेरियल' के रूप में माना जाता है यदि लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है या पिछले लेनदेन के साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक साथ लिया जाता है, जो पिछले लेखा परीक्षित वित्तीय के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का ₹ 1000 करोड़ या 10% से अधिक है, सूचीबद्ध इकाई के विवरण, जो भी न्यूनतम हो।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित मैटेरियल संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है:

विवरण	लेनदेन का विवरण								
संबंधित पक्ष का नाम और बैंक के साथ इसके संबंध	असम ग्रामीण विकास बैंक (एसोसिएट)	बंगिया ग्रामीण विकास बैंक (एसोसिएट)	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	मणिपुर ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	पंजाब ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)
लेन-देन का प्रकार	अंतर-बैंक भागीदारी प्रमाणपत्र (आईटीबीपीसी) लेनदेन								
प्रस्तावित लेनदेन की मैटेरियल शर्तें और विवरण	आईटीबीपीसी लेनदेन बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गई कीमतों पर किया जाएगा और स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर किया जाएगा।								
संबंधित पक्ष के सरोकार या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा)	वित्तीय								
प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (₹ करोड़ में)	6000.00	6000.00	2000.00	2000.00	2000.00	10000.00	2000.00	2000.00	2000.00
तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य (वित्त वर्ष 2022 के कारोबार के आधार पर) का प्रतिनिधित्व करता है	6.79%	6.79%	2.26%	2.26%	2.26%	11.32%	2.26%	2.26%	2.26%
बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी भी ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेनदेन जैसे:									
i) की गई वित्तीय ऋणग्रस्तता का विवरण	इस तरह के लेनदेन करने के लिए बैंक कोई विशिष्ट वित्तीय ऋण नहीं लेगा। धन का उपयोग बैंकिंग के सामान्य कार्यप्रणाली से किया जाएगा।								
ii) कार्यकाल	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लेनदेन किए जाने का प्रस्ताव है।								
iii) प्रतिज्ञापत्र, कार्यकाल, ब्याज दर और अनुसूची सहित पुनर्भुगतान हेतु लागू शर्तें, चाहे प्रतिभूति हों या प्रतिभूति न हों; यदि प्रतिभूति है, तो प्रतिभूति की प्रकृति।	आईटीबीपीसी लेनदेन बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कीमतों पर किया जाएगा। इस तरह के लेनदेन स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर किए जाएंगे।								

The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 4, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party/ies shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 4 of the Notice.

▪ **Item No. 5:**

Pursuant to amendment in Regulation 2(1)(zc) read with the proviso to Regulation 23(1) of the SEBI Listing Regulations, effective from April 1, 2022, transactions involving transfer of resources, services or obligations between a listed entity or any of its subsidiaries on one hand and a related party of the listed entity or any of its subsidiaries on the other hand are considered as related party transactions. Further, in terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business. A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:

Particulars	Details of Transactions								
Name of Related Party and its relationship with the Bank	Assam Gramin Vikash Bank (Associate)	Bangiya Gramin Vikash Bank (Associate)	Himachal Pradesh Gramin Bank (Associate)	Manipur Rural Bank (Associate)	Punjab Gramin Bank (Associate)	Prathama UP Gramin Bank (Associate)	Tripura Gramin Bank (Associate)	Dakshin Bihar Gramin Bank (Associate)	Sarva Haryana Gramin Bank (Associate)
Type of Transaction	Inter-Bank Participation Certificate (IBPC) Transactions								
Material terms and particulars of the proposed transaction	IBPC transactions will be undertaken at the prices decided by the Competent Authority as per the Bank guidelines and shall be carried out on an arm's length basis.								
Nature of concern or interest of the related party (financial or otherwise)	Financial								
Value of the proposed transaction (₹ in Crore)	6000.00	6000.00	2000.00	2000.00	2000.00	10000.00	2000.00	2000.00	2000.00
Percentage of Bank's Annual Consolidated Turnover for the immediately preceding financial year, represented by the value of the proposed transaction (Based on turnover of FY2022)	6.79%	6.79%	2.26%	2.26%	2.26%	11.32%	2.26%	2.26%	2.26%
Transactions relating to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the Bank or its subsidiary viz.:									
(i) Details of Financial Indebtedness incurred	The Bank will not incur any specific financial indebtedness in order to undertake such transactions. Funds will be utilized from normal course of Banking								
(ii) Tenure	The transactions are proposed to be undertaken during FY 2022-23.								
(iii) Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security.	IBPC transactions will be carried out at the prices decided by the Competent Authority as per the Bank guidelines. Such transactions shall be undertaken on an arm's length basis.								

विवरण	लेनदेन का विवरण								
	असम ग्रामीण विकास बैंक (एसोसिएट)	बंगिया ग्रामीण विकास बैंक (एसोसिएट)	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	मणिपुर ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	पंजाब ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक (एसोसिएट)
iv) जिस उद्देश्य के लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।	निधि का उपयोग केवल जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है, उनके इच्छित उद्देश्य के लिए किया जायेगा।								
आरपीटी बैंक के हित में क्यों है इसका औचित्य।	ये लेनदेन प्रचलित बाजार दरों और बैंक के नीति दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के ऋण निर्णय के अनुसार किए जाते हैं। बैंक आवश्यक नियामक अनुपातों के रखरखाव और व्यवसाय के विकास के अवसरों के लिए इस तरह के लेनदेन में सक्रिय रूप से संलग्न है और इसलिए यह बैंक के हित में है।								
मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्ष की रिपोर्ट	लागू नहीं								

एक तरफ बैंक के बीच प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य और दूसरी तरफ उपरोक्त संबंधित पार्टियों में से प्रत्येक का मूल्य ₹1000 करोड़ से अधिक है [अर्थात् सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत 'मैटेरियल से संबंधित पक्ष की लेनदेन' की सीमा से अधिक अर्थात् ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, जो भी न्यूनतम हो]। लेन-देन संबंधित पक्षों के साथ स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार में निष्पादित किए जाएंगे।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके संबंधित, बैंक में और ऊपर उल्लिखित किसी भी संस्था में, यदि कोई हो, उनकी शेयरधारिता/निर्देशन, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में संबंधित/रुचि रखते हैं।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने उपरोक्त मैटेरियल संबंधी पक्षों की लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

बोर्ड ने यह भी सिफारिश की है कि प्रस्तावित मैटेरियल से संबंधित पक्षों की लेनदेन को मद संख्या 5 में रखा गया है, जिसे शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए एजीएम में सामान्य संकल्प के रूप में रखा जाना चाहिए।

The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is more than ₹1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower]. The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding/directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.

The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 5, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

Particulars	Details of Transactions								
Name of Related Party and its relationship with the Bank	Assam Gramin Vikash Bank (Associate)	Bangiya Gramin Vikash Bank (Associate)	Himachal Pradesh Gramin Bank (Associate)	Manipur Rural Bank (Associate)	Punjab Gramin Bank (Associate)	Prathama UP Gramin Bank (Associate)	Tripura Gramin Bank (Associate)	Dakshin Bihar Gramin Bank (Associate)	Sarva Haryana Gramin Bank (Associate)
(iv) The purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT.	The funds will be utilized solely for intended purpose which has been approved by the Competent Authority.								
Justification as to why the RPT is in the interest of the Bank.	These transactions are undertaken as per the credit decision of the Bank according to the prevalent Market rates and Bank's Policy Guidelines. The Bank actively engages in such transactions for maintenance of required regulatory ratios and for business growth opportunities and is therefore in the interest of the Bank.								
Valuation or other external party report	Not applicable								

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष हेतु सूचना के मद संख्या 5 में सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे।

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party/ies shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 5 of the Notice.

▪ मद संख्या 6:

1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 23(1) के प्रावधान के साथ पठित विनियम 2(1)(जेडसी) में संशोधन के अनुसार, एक सूचीबद्ध इकाई या किसी के बीच संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों के हस्तांतरण से जुड़े लेनदेन एक ओर इसकी सहायक कंपनियों और दूसरी ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी की संबंधित पक्ष को संबंधित पक्ष की लेनदेन माना जाता है। इसके अलावा, सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, सभी मैटेरियल से संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए एक सामान्य संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि वे स्वतंत्रा संव्यवहार के आधार पर और व्यापार सामान्य प्रक्रिया में हैं। एक संबंधित पक्ष की लेनदेन को 'मैटेरियल' के रूप में माना जाता है यदि लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है या पिछले लेनदेन के साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक साथ लिया जाता है, जो पिछले लेखा परीक्षित सूचीबद्ध इकाई की वित्तीय सूचीबद्ध विवरणी के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का रु.1000 करोड़ या 10% से अधिक है, जो भी न्यूनतम हो।

▪ Item No.6:

Pursuant to amendment in Regulation 2(1)(zc) read with the proviso to Regulation 23(1) of the SEBI Listing Regulations, effective from April 1, 2022, transactions involving transfer of resources, services or obligations between a listed entity or any of its subsidiaries on one hand and a related party of the listed entity or any of its subsidiaries on the other hand are considered as related party transactions. Further, in terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business. A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित मैटेरियल संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है:

विवरण	लेनदेन का विवरण
संबंधित पक्ष का नाम और बैंक के साथ इसके संबंध	पीएनबी गिल्ड्स लिमिटेड (सहायक) पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सहायक)
लेनदेन का प्रकार	चालू खाता जमाराशि
प्रस्तावित लेनदेन की मैटेरियल शर्तें और विवरण	बैंक के नीति दिशानिर्देशों के अनुरूप विभिन्न सेवाओं के लिए बैंक ग्राहकों के चालू खातों पर सामान्य बैंकिंग शुल्क लगाता है। वर्तमान में, ग्राहकों के चालू खाते की शेष राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है।
प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (रु. करोड़ में)	एक बार चालू खाता खोलने के बाद, यह पूरी तरह से ग्राहक के विवेक पर निर्भर करता है कि वह खाते में कितनी राशि डालना चाहता है। इसलिए, लेनदेन का मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, लेनदेन का मूल्य ₹1000.00 करोड़ से अधिक हो सकता है।
संबंधित पार्टी के सरोकार या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा)	वित्तीय
तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है (31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की समेकित कुल आय के आधार पर)	लागू नहीं है, क्योंकि इस समय राशि की गणना नहीं की जा सकती है।
बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए या दिए गए किसी भी ऋण, अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेनदेन के अन्य विवरण जैसे: (i) किए गए वित्तीय ऋण का विवरण (ii) कार्यकाल (iii) प्रतिज्ञापत्र, कार्यकाल, ब्याज दर और अनुसूची सहित लागू पुनर्भुगतान की शर्तें, चाहे प्रतिभूति हो या प्रतिभूति न हो; यदि प्रतिभूति है, तो प्रतिभूति की प्रकृति। (iv) उद्देश्य जिसके लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।	लागू नहीं
आरपीटी बैंक के हित में क्यों है इसका औचित्य दें	अपने ग्राहकों के साथ बैंक के बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए लेनदेन करने का प्रस्ताव है, जिसमें बैंक के संबंधित पक्ष शामिल हो सकते हैं।
मूल्यांकन या अन्य बाहरी पार्टी रिपोर्ट	लागू नहीं

एक तरफ बैंक के बीच प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य और दूसरी तरफ उपरोक्त संबंधित पक्षों में से प्रत्येक का मूल्य ₹1000 करोड़ से अधिक है [अर्थात् सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत 'मैटेरियल से संबंधित पक्ष की लेनदेन' की सीमा से अधिक अर्थात् ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार का 10%, जो भी न्यूनतम हो]। लेन-देन संबंधित पक्षों के साथ स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार में निष्पादित किए जाएंगे।

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:

Particulars	Details of Transactions	
Name of Related Party and its relationship with the Bank	PNB Gilts Ltd. (Subsidiary)	PNB Housing Finance Ltd. (Associate)
Type of Transaction	Current Account Deposits	
Material terms and particulars of the proposed transaction	The Bank levies normal banking charges on the current accounts of Customers for various services in line with the Bank's Policy Guidelines. Currently, no interest is paid on current account balance maintained by Customers.	
Value of the proposed transaction (₹ in Crore)	Once a current account is opened, it is entirely up to the discretion of the customer as to how much amount it seeks to place in the account. Hence, the value of the transaction is not determinable. However, the value of transaction may exceed ₹1000.00 crore.	
Nature of concern or interest of the related party (financial or otherwise)	Financial	
Percentage of Bank's Annual Consolidated Turnover for the immediately preceding financial year, represented by the value of the proposed transaction (Based on Consolidated Total Income of the Bank for FY ended 31.03.2022)	Not applicable, as the amount cannot be calculated at this point of time.	
Other details of Transaction relating to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the Bank or its subsidiary viz.: (i) Details of Financial Indebtedness incurred (ii) Tenure (iii) Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security. (iv) Purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT.	Not Applicable	
Justification as to why the RPT is in the interest of the Bank	The transactions are proposed to be undertaken in furtherance of the banking business of the Bank with its customers, which may include Related Parties of the Bank.	
Valuation or other external party report	Not applicable	

The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is more than ₹ 1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹ 1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower]. The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके संबंधित, बैंक में और ऊपर उल्लिखित किसी भी संस्था में, यदि कोई हो, उनकी शेयरधारिता/निर्देशन, यदि कोई हो, को छोड़कर, उपरोक्त संकल्प में संबंधित/रुचि रखते हैं।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने उपरोक्त मैटेरियल संबंधी पक्ष की लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

बोर्ड ने यह भी सिफारिश की है कि प्रस्तावित मैटेरियल से संबंधित पक्ष की लेनदेन को मद संख्या 6 में रखा गया है, जिसे शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए वार्षिक आम बैठक में सामान्य संकल्प के रूप में रखा जाना चाहिए।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष हेतु सूचना के मद संख्या 6 पर सामान्य संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे।

■ मद संख्या 7:

1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियम 23(1) के प्रावधान के साथ पठित विनियम 2(1)(जेडसी) में संशोधन के अनुसार, एक सूचीबद्ध इकाई या किसी के बीच संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों के हस्तांतरण से जुड़े लेनदेन एक ओर इसकी सहायक कंपनियों और दूसरी ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी की संबंधित पक्ष को संबंधित पक्ष की लेनदेन माना जाता है। इसके अलावा, सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 23(4) के अनुसार, सभी मैटेरियल से संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए एक सामान्य संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है, इस तथ्य के बावजूद कि वे स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और व्यापार सामान्य प्रक्रिया में हैं। एक संबंधित पक्ष की लेनदेन को 'मैटेरियल' माना जाता है यदि लेनदेन को व्यक्तिगत रूप से दर्ज किया जाता है या पिछले लेनदेन के साथ एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक साथ लिया जाता है, जो सूचीबद्ध इकाई के पिछले लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी के अनुसार सूचीबद्ध इकाई के वार्षिक समेकित कारोबार का 1000 करोड़ या 10% से अधिक है, जो भी न्यूनतम हो।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित प्रस्तावित मैटेरियल संबंधित पक्ष की लेनदेन के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा गया है:

विवरण	लेनदेन का विवरण	
संबंधित पक्ष का नाम और बैंक के साथ इसके संबंध	ड्रक पीएनबी बैंक लिमिटेड, (अंतर्राष्ट्रीय अनुषंगी)	एवरेस्ट बैंक लिमिटेड (अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त उद्यम)
लेन-देन का प्रकार	नोस्ट्रो खातों में लेनदेन	
प्रस्तावित लेनदेन की महत्वपूर्ण शर्तें और विवरण	दो बैंकों के बीच ग्राहकों के निधि अंतरण की सुविधा के लिए मानक नियमों और शर्तों के अनुसार।	

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding/directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.

The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 6, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party/ies shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 6 of the Notice.

■ Item No.7:

Pursuant to amendment in Regulation 2(1)(zc) read with the proviso to Regulation 23(1) of the SEBI Listing Regulations, effective from April 1, 2022, transactions involving transfer of resources, services or obligations between a listed entity or any of its subsidiaries on one hand and a related party of the listed entity or any of its subsidiaries on the other hand are considered as related party transactions. Further, in terms of Regulation 23(4) of SEBI Listing Regulations, all material related party transactions require prior approval of shareholders by way of an ordinary resolution, notwithstanding the fact that the same are at an arm's length basis and in the ordinary course of business. A related party transaction is considered as 'material' if the transaction to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year exceeds ₹1000 Crore or 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity as per the last audited financial statements of the listed entity, whichever is lower.

In view of the above, approval of the Shareholders is sought for the following proposed Material Related Party Transactions:

Particulars	Details of Transactions	
Name of Related Party and its relationship with the Bank	Druk PNB Bank Ltd., (International Subsidiary)	Everest Bank Ltd. (International Joint Venture)
Type of Transaction	Transactions in the Nostro Accounts	
Material terms and particulars of the proposed transaction	As per standard terms & conditions for facilitating funds transfer of customers between two Banks.	

विवरण	लेनदेन का विवरण
प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य (₹ करोड़ में)	लेन-देन की मात्रा ग्राहक केंद्रित है इसलिए मूल्य हालांकि मात्रा निर्धारित नहीं है और मूल्य वर्ष के किसी भी समय के दौरान ₹1000.00 करोड़ से अधिक हो सकता है।
संबंधित पक्ष के सरोकार या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा)	वित्तीय
तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए बैंक का वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत, प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है। (31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक की समेकित कुल आय के आधार पर)	लागू नहीं है, क्योंकि इस समय राशि की गणना नहीं की जा सकती है।
बैंक या उसकी सहायक कंपनी द्वारा दिए गए किसी भी ऋण, किए गए अंतर-कॉर्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित लेनदेन के अन्य विवरण जैसे: (i) किए गए वित्तीय ऋण का विवरण (ii) अवधि (iii) प्रसंविदा, अवधि, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची सहित लागू शर्तें, चाहे प्रतिभूत हो या अप्रतिभूत; यदि प्रतिभूत है, तो प्रतिभूत का स्वरूप। (iv) उद्देश्य जिसके लिए आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किया जाएगा।	लागू नहीं

Particulars	Details of Transactions
Value of the proposed transaction (₹ in Crore)	The volume of transactions is customer centric, therefore value and volume is not determinable. However the value may exceed ₹1000.00 crore during any point of time of the year.
Nature of concern or interest of the related party (financial or otherwise)	Financial
Percentage of Bank's Annual Consolidated Turnover for the immediately preceding financial year, represented by the value of the proposed transaction (Based on Consolidated Total Income of the Bank for FY ended 31.03.2022)	Not applicable, as the amount cannot be calculated at this point of time.
Other details of Transaction relating to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the Bank or its subsidiary viz.: (i) Details of Financial Indebtedness incurred (ii) Tenure (iii) Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security. (iv) Purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT.	Not Applicable

विवरण	लेनदेन का विवरण
आरपीटी बैंक के हित में क्यों है इसका औचित्य	ये लेनदेन ग्राहकों के साथ बैंक के कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें बैंक के संबंधित पक्ष शामिल हो सकते हैं।
मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्ष की रिपोर्ट	लागू नहीं

एक तरफ बैंक के बीच प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य और दूसरी तरफ उपरोक्त संबंधित पार्टियों में से प्रत्येक का मूल्य ₹1000 करोड़ से अधिक है [अर्थात् सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत 'संबंधित पक्ष के लेनदेन' की सीमा से ऊपर अर्थात् ₹1000 करोड़ या बैंक के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार बैंक के वार्षिक समेकित कारोबार (अर्थात् वार्षिक समेकित कुल आय) का 10%, जो भी कम हो]। लेन-देन संबंधित पक्षों के साथ स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर और बैंक के सामान्य कारोबार में निष्पादित किए जाएंगे।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार, बैंक में और उपरोक्त उल्लेखित किसी संस्था में, यदि कोई हो, में उनकी शेयरधारिता/निदेशक पद को छोड़कर यदि कोई हो, उपरोक्त संकल्प से संबंधित नहीं हैं/रुचि नहीं रखते।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति ने उपरोक्त संबंधित पक्ष के महत्वपूर्ण लेनदेन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

बोर्ड ने यह भी सिफारिश की है कि प्रस्तावित संबंधित पक्ष के महत्वपूर्ण लेनदेन को मद संख्या 7 में रखा जाए, जिसे शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए वार्षिक आम बैठक में सामान्य संकल्प के रूप में रखा जाए।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, कोई भी संबंधित पक्ष सूचना के मद संख्या 7 पर साधारण संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते पंजाब नैशनल बैंक

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 03.06.2022

(एकता पसरीचा)
कंपनी सचिव

Particulars	Details of Transactions
Justification as to why the RPT is in the interest of the Bank	These transactions are proposed to be undertaken in furtherance of the business of the Bank with customers which may include Related Parties of the Bank.
Valuation or other external party report	Not applicable

The value of the proposed transactions between the Bank on one side and each of the aforementioned Related Parties, on the other side, is more than ₹1000 Crore [i.e. above the threshold of 'material related party transactions' under the SEBI Listing Regulations i.e. ₹1000 Crore or 10% of the Annual Consolidated Turnover of the Bank as per the last audited financial statements of the Bank, whichever is lower]. The transactions will be executed with the Related Parties on an arm's length basis and in the ordinary course of business of the Bank.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, other than to the extent of their shareholding/directorships, if any, in the Bank and in any of the entities mentioned above, if any, are concerned/interested in the above resolution.

The Audit Committee of the Board has accorded approval for the aforesaid Material Related Party Transactions.

The Board has also recommended that the proposed material related party transactions placed at Item No. 7, be placed before the shareholders as Ordinary Resolution at the AGM for seeking their approval.

The Shareholders may please note that, in terms of provisions of the SEBI Listing Regulations, no related party/ies shall vote to approve the Ordinary Resolution at Item No. 7 of the Notice.

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank

Place: New Delhi
Date: 03.06.2022

(Ekta Pasricha)
Company Secretary

अनुलग्नक

लाभांश पर स्रोत पर कर की कटौती पर निर्देश

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के अनुसार, वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित, 1 अप्रैल, 2020 के बाद बैंक द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश शेयरधारकों के लिए कर योग्य होगा। इसलिए बैंक को शेयरधारकों को उक्त लाभांश का भुगतान करते समय अधिनियम की धारा 194 या अधिनियम की धारा 195 के तहत निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर (टीडीएस) की कटौती करनी होगी। टीडीएस की दर शेयरधारक की आवासीय स्थिति और उनके द्वारा जमा किए गए और बैंक द्वारा स्वीकार किए गए दस्तावेजों के आधार पर भिन्न होगी। इसके अलावा, टीडीएस की उच्च दर लागू तब होगी जब यदि अधिनियम की धारा 206एए के अनुसार वैध स्थायी खाता संख्या (पैन) शेयरधारक द्वारा प्रदान नहीं किया गया है या अधिनियम की धारा 206एबी के अनुसार शेयरधारक एक निर्दिष्ट व्यक्ति है।

एक निर्दिष्ट व्यक्ति वह है जिसने पिछले एक वर्ष से आयकर रिटर्न दाखिल करने का अनुपालन नहीं किया है और पिछले एक वर्ष में रुपये 50,000 या अधिक का टीडीएस रहा है। भारत में स्थायी स्थापना नहीं रखने वाले अनिवासी को एक निर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में नहीं माना जाता है।

तदनुसार, बैंक द्वारा अंतिम लाभांश का भुगतान स्रोत पर कर की कटौती के बाद किया जाएगा, जैसा कि यहां स्पष्ट किया गया है।

ए. निवासी शेयरधारक

1. निवासी शेयरधारकों के लिए, लाभांश की राशि पर 10% टीडीएस लागू होगा। यदि वैध पैन प्रदान नहीं किया गया है या शेयरधारक एक निर्दिष्ट व्यक्ति है, तो टीडीएस लाभांश की राशि पर 20% लागू होगा। तदनुसार, जिन शेयरधारकों ने अपना पैन नहीं दिया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे बैंक या उसके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (एसटीए) अर्थात् बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड, (भौतिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में) या डिपॉजिटरी भागीदार (इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के संबंध में) को तत्काल प्रदान करें।

यदि नीचे दी गई दो शर्तों में से कोई एक पूरी होती है तो देय लाभांश पर कोई कर नहीं काटा जाएगा:

- एक निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक को देय कुल लाभांश ₹5,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं है।
 - शेयरधारक ने वैध पैन के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित फॉर्म 15G (कंपनी या फर्म के अलावा किसी भी व्यक्ति के लिए लागू) / फॉर्म 15H (60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के लिए लागू) प्रदान किया है और बशर्ते कि वह सभी आवश्यक पात्रता शर्तें पूर्ण करता हो।
2. निम्नलिखित कर निवासी शेयरधारक बैंक की संतुष्टि के अधीन नीचे उल्लिखित दस्तावेज बैंक को उपलब्ध कराने पर टीडीएस की शून्य/कम दर के लिए पात्र होना होगा:

Annexure

Instructions on Deduction of Tax at Source on Dividend

As per the Income-tax Act, 1961 (the Act), as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by Bank after April 1, 2020 shall be taxable in the hands of the shareholders. The Bank shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) under section 194 of the Act or section 195 of the Act at the prescribed rates at the time of making the payment of the said dividend to shareholders. The TDS rate would vary depending on the residential status of the shareholder and the documents submitted by them and accepted by the Bank. Further, higher rate of TDS would be applicable if pursuant to section 206AA of the Act, valid permanent account number (PAN) has not been provided by shareholder or pursuant to section 206AB of the Act, shareholder being a specified person.

A specified person is one who has not complied with filing of income tax returns for last one year and is having TDS of ₹ 50,000 or more in last one year. A non-resident not having permanent establishment in India is not considered as a specified person.

Accordingly, the final dividend will be paid by the Bank after deducting tax at source, as applicable, as explained herein.

A. Resident Shareholders

1. For Resident Shareholders, TDS will be applicable at 10% on the amount of dividend. In case valid PAN is not provided or shareholder is a specified person, then the TDS will be applicable at 20% of the amount of dividend. Accordingly, shareholders who have not provided their PAN are requested to provide the same to the Bank or its Registrar and Share Transfer Agent (STA) viz. Beetal Financial & Computer Services (Pvt.) Ltd., (in respect of shares held in physical form) or to the Depository Participant (in respect of shares held in electronic form), immediately.

No tax shall be deducted on the dividend payable if either of the below two conditions are fulfilled:

- Total dividend payable to a resident individual shareholder does not exceed ₹ 5,000 per year.
 - The shareholder has provided duly filled and signed Form 15G (applicable to any Person other than a company or a Firm)/ Form 15H (applicable to an Individual above the age of 60 years) with valid PAN, provided that all the required eligibility conditions are met.
2. The following Tax Resident Shareholders shall be eligible for Nil/Lower Rate of TDS upon providing the documents to the Bank mentioned hereunder to the satisfaction of the Bank:

क्र. सं.	विवरण	टीडीएस की लागू दर	आवश्यक दस्तावेज़
ए)	बीमा कंपनियां	शून्य	- घोषणापत्र कि यह अधिनियम की धारा 194 के प्रावधान के तहत निर्दिष्ट एक बीमा कंपनी है - आईआरडीआई के साथ पंजीकरण के प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति - पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति
बी)	सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके तहत स्थापित विशिष्ट निगम जिनकी आय को कर से छूट है, और अधिनियम की धारा 10 (23डी) के तहत निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड	शून्य	- घोषणापत्र कि यह जारी परिपत्रों के साथ पठित अधिनियम की धारा 196(iii) के अंतर्गत आता है। - प्रासंगिक पंजीकरण दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रति - पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति
सी)	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (SEBI) के साथ पंजीकृत श्रेणी – I और II वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ)	शून्य	- घोषणापत्र कि इसकी आय अधिनियम की धारा 10 (23FBA) के तहत छूट प्राप्त है और वे श्रेणी I या श्रेणी II एआईएफ के रूप में सेबी के नियमों द्वारा शासित हैं - सेबी एआईएफ पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति - पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति

Sr. No.	Particulars	Applicable Rate of TDS	Documents Required
a)	Insurance Companies	Nil	- Declaration that it is an Insurance Company as specified under Proviso to section 194 of the Act - Self-attested copy of certificate of registration with IRDAI - Self-attested copy of PAN card
b)	Government, Reserve Bank of India (RBI), Specified Corporations established by or under Central Act whose income is exempt from tax, and Mutual Funds specified under section 10 (23D) of the Act	Nil	- Declaration that it is covered by section 196(iii) of the Act read with the Circulars issued thereunder. - Self-attested copy of relevant registration documents - Self-attested copy of PAN card
c)	Category - I & II Alternative Investment Funds (AIF) registered with the Securities and Exchange Board of India (SEBI)	Nil	- Declaration that its income is exempt under section 10(23FBA) of the Act and they are governed by SEBI regulations as Category I or Category II AIF - Self-attested copy of SEBI AIF registration certificate - Self-attested copy of the PAN card

क्र. सं.	विवरण	टीडीएस की लागू दर	आवश्यक दस्तावेज़
डी)	शेयरधारकों को अधिनियम या सीबीडीटी परिपत्र या अधिसूचना के किसी भी प्रावधान के संदर्भ में टीडीएस प्रावधानों से छूट दी गई है	शून्य	- घोषणापत्र कि सीबीडीटी परिपत्र या अधिसूचना के अंतर्गत आता हो - अधिनियम या सीबीडीटी परिपत्र या अधिसूचना के किसी भी प्रावधान के संदर्भ में छूट की स्थिति का समर्थन करने वाले दस्तावेज़ी साक्ष्य - पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति
ई)	सभी निवासी शेयरधारक	आयकर विभाग द्वारा जारी न्यून कटौती प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दर	अधिनियम की धारा 197 के तहत प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित प्रति

बी. अनिवासी शेयरधारक

- विदेशी संस्थागत निवेशक/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफआईआई और एफपीआई) होने के नाते अनिवासी संस्थागत शेयरधारकों के लिए, टीडीएस अधिनियम की धारा 196डी के तहत 20 प्रतिशत पर या निम्नउल्लेखित दस्तावेज़ों को जमा करने पर किसी भी लागू दोहरा बचाव समझौता (कर संधि) में दिए गए दर, जो भी कम हो, के अनुसार लागू होगा।
- अन्य अनिवासी शेयरधारकों के लिए, टीडीएस अधिनियम की धारा 195 के प्रावधानों के अनुसार लागू दरों पर जो वर्तमान में 20% है या निम्न उल्लिखित दस्तावेज़ों को जमा करने पर किसी भी लागू कर संधि में दिए दर, जो भी कम हो, के अनुसार देय लाभांश की राशि पर लागू होगा।
- अनिवासी शेयरधारक जिनके पास भारत में स्थायी स्थापना है और एक निर्दिष्ट व्यक्ति है, उन पर लागू टीडीएस की दर से दोगुना के लिए उत्तरदायी होगा।
- यदि अधिनियम की धारा 197/195 के तहत अनिवासी शेयरधारकों द्वारा करों की कम/शून्य पर रोकने के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाता है, तो उक्त प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दर पर उसकी स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने के आधार पर विचार किया जाएगा।

Sr. No.	Particulars	Applicable Rate of TDS	Documents Required
d)	Shareholders exempted from TDS provisions in terms of any provisions of the Act or CBDT Circular or notification	Nil	- Declaration that it is covered by CBDT circular or Notification - Documentary evidence supporting the exemption status in terms of any provisions of the Act or CBDT Circular or notification - Self-attested copy of PAN card
e)	All resident shareholders	Rate specified in the low deduction certificate issued by the income tax department	Self-attested copy of certificate under section 197 of the Act

B. Non-Resident Shareholders

- For Non-resident institutional shareholders being Foreign Institutional Investors/ Foreign Portfolio Investor (FII/ FPI), TDS will be applicable under section 196D of the Act, at 20% or as per the rate in any applicable Double Tax Avoidance Agreement (tax treaty) on submission of documents mentioned below, whichever is lower, on the amount of dividend payable.
- For other Non-resident shareholders, TDS will be applicable in accordance with the provisions of section 195 of the Act, at the rates in force which is currently 20% or as per the rate in any applicable tax treaty on submission of documents mentioned below, whichever is lower, on the amount of dividend payable.
- The non-resident shareholder who has a permanent establishment in India and is a specified person would be liable for twice the rate of TDS as applicable.
- If certificate under section 197/195 of the Act is obtained by non-resident shareholders for lower/Nil withholding of taxes, rate specified in the said certificate shall be considered based on submission of self-attested copy of the same.

अधिनियम की धारा 90(2) के अनुसार, अनिवासी शेयरधारकों (एडीआर के लिए डिपॉजिटरी के अलावा) के पास भारत और उनके कर निवास वाले देशों के बीच कर संधि का लाभ उठाने का विकल्प है, जिसके लिए ऐसे अनिवासी शेयरधारक को बैंक की संतुष्टि के अधीन निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे:

1. भारतीय आयकर प्राधिकरण द्वारा आवंटित पैन की स्व-सत्यापित प्रति; यदि पैन आवंटित नहीं किया गया है, तो कृपया स्व-घोषणा प्रस्तुत करें।
2. टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट (टीआरसी) वित्त वर्ष 2021-23 के लिए की प्रति उस देश के कर प्राधिकरण से प्राप्त की जाएगी, जिस देश के शेयरधारक निवासी है। यदि टीआरसी अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, तो उक्त टीआरसी का ऐसी अन्य भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना होगा और उसके बाद टीआरसी की विधिवत नोटरीकृत और प्रमाणित (एपोस्टील) प्रति प्रदान की जाएगी।
3. वित्त वर्ष 2022-23 के लिए फॉर्म 10एफ में स्व-घोषणा पत्र यदि इस फॉर्म में आवश्यक सभी विवरण टीआरसी में उल्लिखित नहीं हैं।
4. अनिवासी शेयरधारक द्वारा स्व-घोषणा के रूप में
 - शेयरधारक की कर आवासीय स्थिति के आधार पर कर संधि लाभों का दावा करने की पात्रता;
 - प्रासंगिक वर्ष के दौरान किसी भी समय शेयरधारक के पास लागू कर संधि के अनुसार भारत में स्थायी स्थापना/निश्चित आधार नहीं था;
 - शेयरधारक इक्विटी शेयरों पर प्राप्त होने वाली लाभांश आय का लाभकारी स्वामी है।

कृपया ध्यान दें कि अनिवासी शेयरधारकों के मामले में कर संधि लाभों का दावा करने के लिए या/और अधिनियम की धारा 206AB के अनुसार अधिक टीडीएस से बचने के लिए कोई स्थायी स्थापना और लाभकारी स्वामित्व की स्व-घोषणा शेयरधारक के लेटरहेड पर होनी चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि बैंक अपने एकमात्र और पूर्ण विवेकाधिकार में किसी भी अधिक जानकारी के लिए कॉल करने और/या टीडीएस के लिए डोमेस्टिक कानून/कर संधि लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

सामान्य निर्देश:

1. उपरोक्त सभी टीडीएस दरों को लागू अधिभार और सेस, जहां भी लागू हो, द्वारा विधिवत रूप से बढ़ेगा।
2. डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने रिकॉर्ड जैसे कर आवासीय स्थिति, पैन, पता, बैंक खाता विवरण, ईमेल पते और मोबाइल नंबर अपडेट करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपना विवरण बैंक या बैंक के एसटीए को प्रस्तुत करें।

Pursuant to section 90(2) of the Act, non-resident shareholders (other than Depository for ADRs) have the option to avail the benefit of tax treaty between India and the countries of their tax residence for which such non-resident shareholders will have to provide the following documents, to the satisfaction of the Bank:

1. Self-attested copy of the PAN allotted by the Indian Income Tax Authorities; If the PAN is not allotted, please submit self-declaration.
2. Self-attested copy of Tax Residency Certificate (TRC) (for FY 2022-23) obtained from the tax authorities of the country of which the shareholder is resident. In case, the TRC is furnished in a language other than English, the said TRC would have to be translated from such other language to English language and thereafter duly notarized and apostilled copy of the TRC would have to be provided.
3. Self-declaration in Form 10F for FY 2022-23 if all the details required in this Form are not mentioned in the TRC.
4. Self-declaration by the non-resident shareholder as to
 - Eligibility to claim tax treaty benefits based on the tax residential status of the shareholder;
 - The shareholder did not at any time during the relevant year have permanent establishment/fixed base in India in accordance with the applicable tax treaty;
 - Shareholder being the beneficial owner of the dividend income to be received on the equity shares.

Please note that in case of non-resident shareholders, Self Declaration of No Permanent Establishment and Beneficial ownership should be on the letterhead of the shareholder for claiming tax treaty benefits or/and to avoiding higher TDS as per section 206AB of the Act.

Please note that the Bank in its sole and absolute discretion reserves the right to call for any further information and/or to apply domestic law/tax treaty for TDS.

General Instructions:

1. All the above referred TDS rates shall be duly enhanced by applicable surcharge and cess, wherever applicable.
2. Shareholders holding shares in dematerialized mode, are requested to update their records such as tax residential status, PAN, address, bank account details, email addresses and mobile numbers with their depository participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their details to the Bank or Bank's STA. Please note that for the purpose of complying with the

कृपया ध्यान दें कि लागू टीडीएस प्रावधानों का अनुपालन करने के उद्देश्य से, बैंक डिपॉजिटरी/बैंक के एसटीए के पास उपलब्ध विवरण के अनुसार रिकॉर्ड तिथि अर्थात् 23 जून, 2022 को उपर्युक्त जानकारी पर निर्भर करेगा।

3. फॉर्म/घोषणापत्र वेबसाइट www.pnbindia.co.in से डाउनलोड की जा सकती हैं। बैंक को उचित कर दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए, जिस पर अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत स्रोत पर कर की कटौती की जानी है, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे लागू होने वाले दस्तावेज दिनांक 23.06.2022 या उससे पहले उक्त वेबसाइट पर प्रदान/प्रस्तुत करें।
4. लाभांश का भुगतान स्रोत पर कर की कटौती के बाद किया जाएगा जैसा कि उन पर लागू हो संबंधित शेयरधारकों द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों के आधार पर निर्धारित किया जायेगा और अधिनियम के अनुसार पूर्ण और संतोषजनक पाए जाने पर बैंक शेयरधारक को टीडीएस प्रमाणपत्र भेजने की व्यवस्था करेगा।
5. उक्त लाभांश के संबंध में कर निर्धारण/कटौती पर कोई संचार उपर्युक्त तिथि के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि यदि उपरोक्त विवरण/दस्तावेजों की प्राप्ति के अभाव में उक्त लाभांश पर कर की उच्च दर से कटौती की जाती है, तब भी शेयरधारक के पास आय की विवरणी दाखिल करने और उचित दावा करने का एक विकल्प उपलब्ध होगा, यदि पात्र हो। इसके अलावा, कृपया ध्यान दें कि ऐसे कर की कटौती के लिए बैंक के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा।
6. इस संबंध में सभी संचार/प्रश्न बैंक/बैंक के एसटीए को hosd@pnb.co.in/beetal@beetalfinancial.com पर भेजे जाने चाहिए।
7. शेयरधारक(यों) द्वारा प्रदान की गई/प्रदान की जाने वाली जानकारी की किसी भी गलत बयानी, अशुद्धि या चूक से उत्पन्न होने वाली किसी भी आयकर मांग (ब्याज, जुर्माना, आदि सहित) की स्थिति में, ऐसे शेयरधारक बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार होंगे और साथ ही, बैंक को सभी जानकारी/दस्तावेज और किसी भी कार्रवाई में सहयोग प्रदान करेंगे।
8. इस संचार को बैंक की सलाह के रूप में नहीं माना जाएगा। शेयरधारकों को अपने कर मामलों से संबंधित कर सलाह कर पेशेवर से प्राप्त करनी चाहिए।
9. बैंक आयकर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आयकर वेबसाइट पर उपलब्ध कार्यक्षमता या सुविधा से सत्यापित जानकारी पर भरोसा करेगा, जिसके लिए अधिनियम की धारा 206AB के तहत टीडीएस की उच्च दर लागू होगी।

applicable TDS provisions, the Bank will rely on the above-mentioned information as on record date i.e. 23rd June, 2022 as per the details available with the Depositories/Bank's STA.

3. The Forms/Declarations can be downloaded from the website: www.pnbindia.co.in. In order to enable the Bank to determine the appropriate tax rate at which tax has to be deducted at source under the respective provisions of the Act, Shareholders are requested to provide/submit the documents as applicable to them on or before 23.06.2022 at hosd@pnb.co.in/beetal@beetalfinancial.com.
4. The dividend will be paid after deduction of tax at source as determined on the basis of the documents provided by the respective shareholders as applicable to them and being found to be complete and satisfactory in accordance with the Act. The Bank shall arrange to dispatch the TDS certificate to the shareholders.
5. No communication on the tax determination/ deduction in respect of the said dividend shall be entertained post the above mentioned date. It may be further noted that in case the tax on said dividend is deducted at a higher rate in absence of receipt of the aforementioned details/ documents, there would still be an option available with the Shareholder to file the return of income and claim an appropriate refund, if eligible. Further, it may kindly be noted that no claim shall lie against the Bank for such taxes deducted.
6. All communications/queries in this respect should be sent to the Bank/Bank's STA at hosd@pnb.co.in/beetal@beetalfinancial.com
7. In the event of any income tax demand (including interest, penalty, etc.) arising from any misrepresentation, inaccuracy or omission of information provided/to be provided by the Shareholder(s), such Shareholder(s) will be responsible to indemnify the Bank and also, provide the Bank with all information/documents and co-operation in any proceedings.
8. This communication shall not be treated as an advice from the Bank. Shareholders should obtain tax advice related to their tax matters from a tax professional.
9. The Bank will be relying on the information verified from the functionality or facility available on the Income Tax website for ascertaining the income tax compliance for whom higher rate of TDS shall be applicable under section 206AB of the Act.